राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही

राजस्थान विधान सभा के प्रथम आय-व्ययक (बजट) सत्र की कार्यवाही

चतुर्थ बैठक, बुधवार दिनांक २ अप्रेल, १९५२ ई०

सभा की बैठक आज दिनांक २ अप्रेल, सन् १९५२ ई०, सवाई मानसिंह टाउन हॉल, जयपुर में ८--३५ बजे प्रारम्भ हुई। अध्यक्ष (माननीय श्री नरोत्तमलाल जोशी) अध्यक्ष पद पर आसीन।

शपथ अथवा प्रतिज्ञान-ग्रहण

माननीय अध्यक्ष:--

वे सदस्य, जिन्होंने अभी तक संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण न किया हो, अब ऐसा करेंगे।

(कोई नहीं)

श्रीमन् राजप्रमुख को धन्यवाद देने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद

माननीय अध्यक्ष:--

दिनांक १ अप्रेल के श्री मंगलसिंह के प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद होगा।

श्री जसवन्तसिंह:-

श्रीमान् अध्यक्षजी, में आपकी आज्ञा हो तो इस सदन का ध्यान, सरकार की एक बहुत बड़ी भारी गलती हुई है उसके लिए आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि जब कि प्रान्त या देश के किसी नेता का निधन हो जाता है या किसी महान व्यक्ति का देहान्त हो जाता है या विधान सभा के सदस्य का देहान्त हो जाता है तो यह शिष्टाचार है कि

उसके प्रति श्रद्धान्जलि दी जाती है। कम से कम विरोधी दल को बड़ा भारी खेद है कि हमारी सरकार इस तरफ तवज्जुह नहीं देती कि हमार स्वर्गीय जोधपुर महाराजा, जो न केवल महान राजा ही थे बल्कि जोधपुर के एकीकरण से पहिले बड़ी भारी रियासत के शासक भी रह चुके हैं और जिन्होंने राजस्थान के एकीकरण में बहुत बड़ा भाग लिया है, और पिछले दिनों जो करामात दिखलाई है जिसको मेरे साथी कम से कम कांग्रेसी तो पांच वर्ष के लिए हमेशा याद रखेंगे। इसके अलावा उनका इस काम में बहुत कुछ हाथ रहा है। अगर इसको हमारी सरकार नहीं समझती है कि वे श्रद्धान्जलि के पात्र हैं तो कम से कम मैं यह साफ कहना चाहता हू कि वे इस सदन के मेम्बर निर्वाचित होने के नाते श्रद्धान्जलि के पात्र बन सकते थे। यह सरकार की बड़ी भारी भूल है, त्रुटि है। ऐसी बातों में भी वे भेदभाव रखते हैं।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मंत्री):-

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि विरोधी दल के नेता ने इस समय एक ऐसा प्रश्न फंसाया है, किसी भी स्वर्गातमा के बारे में कि कुछ कहना, सुनना या वाद विवाद में पड़ना अच्छा मालूम नहीं पड़ता। मैं केवल इतना ही निवेदन करुंगा कि उनकी जो करामात थी उसके बारे में वाद विवाद करना मैं ठीक नहीं समझता। लेकिन वे इस सदन के सदस्य घोषित किये जाने से पूर्व ही दुर्भाग्य से स्वर्गस्थ हो गये, इसलिये वे कभी भी इस सदन के सदस्य नहीं रह थे। इस सदन के सदस्य न होने के नाते यहां उनके विषय में चर्चा नहीं की जा सकती। क्योंकि रूलर्स के नाते और भी कई रूलर्स का देहान्त हुआ है उनमें स हो सकता है उनसे भी कहीं महान हों, और भी कई महान आत्माओं का निधन हुआ है। मेरे इतने कहने मात्र से सन्तोष हो जाना चाहिये। विरोधी दल के नेता के कहने के अनुसार जोधपुर महाराजा जीनियस हो सकते ह, उन्होंने कई साहस के काम किये हैं, ठीक हैं; किन्तु वे इस सदन के सदस्य घोषित होने से पहिले ही स्वर्गस्थ हो चुके थे। वे अपने जीवन काल में इस सदन के सदस्य नहीं रहे। इसलिये मैं समझता ह कि इस विषय में हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री जसवन्तसिंह:-

श्रीमन् अध्यक्षजी, मेरा नम्र निवेदन है कि यदि राजस्थान गजट देखा जाय तो उनका नाम राजस्थान से निर्वाचित हुए सदस्यों की सूची में जरूर मिलेगा।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल

अध्यक्ष महोदय, बहुत सीधी सी बात है जिसकी ओर मेरे मित्र ने ध्यान दिलाया। पहिले उन्हें शपथ लेनी चाहिये थी तभी वे वास्तव में इस सदन के सदस्य हो सकते थे। लेकिन केवल रिटर्निंग आफिसर के चुनाव के परिणाम घोषित करने मात्र से ही वे इस सदन के सदस्य हो गये, इस प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिये वे कभी भी इस सदन के सदस्य नहीं हुए।

श्री गोपीलाल यादवः—

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजप्रमुख के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद का जो प्रस्ताव मेरे माननीय मित्र डा० मंगलसिंह ने रखा उस पर कल से बहस हो रही है। कल मैं उस पर संशोधन पेश करना चाहता था किन्तु वह नहीं कर सका, आज मैं उसमें संशोधन पेश करने जा रहा हूं।

संशोधन पेश करने से पहिले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक धन्यवाद के प्रस्ताव का संबन्ध है हमको अपने हाउस के अन्दर वे ही परम्परायें कायम करनी हैं जो संसार के अन्य देशों में मौजूद हैं। राजप्रमुख राजनीति और दलबन्दी से ऊपर एक बहुत महान् व्यक्ति हैं, जहां तक हमारे राष्ट्र और हमारी स्टेट का संबन्ध है। हम लोगों ने अभी दो दिन पहले एक परम्परा कायम की है जिसके लिए हाउस के सभी सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं। वह यह कि हमने एक राय से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया। वह सिर्फ इसलिये कि स्पीकर हाउस के लिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अन्दर हमारी सब की श्रद्धा-भक्ति होनी चाहिये। हम सबको उन्हें अपना और हाउस की तमाम पार्टी को उन्हें अपना मानना चाहिये। इसलिये परम्परा जो यह कायम की गई है उसी तरह राजप्रमुख के धन्यवाद का भी सवाल है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस धन्यवाद के ऊपर कोई दो मत नहीं हो सकते। राजप्रमुख को धन्यवाद देना निहायत जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको पोइन्ट आउट करना हमारा काम है। इस भाषण में जो बातें पिछले शासन की तारीफ में कही गई हैं वे अगर गलत हैं तो उन पर बहस करके हाउस के नेता का ध्यान दिलाना और आगे के लिए उनसे आश्वासन लेना कि वे गलतियां दूर करेंगे, यह बहुत जरूरी है। इसके अन्दर जो बातें कही गई हैं उन पर कल काफी प्रकाश डाला जा चुका है। आज मैं अपनी तरफ से एक संशोधन पेश करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और देना चाहिये। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी बातें हैं जिन पर मैं संशोधन रखकर हाउस का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

इस प्रस्ताव के अन्दर ये शब्द हैं कि हाउस के हम सदस्यगण श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के लिए जो कि उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है अत्यन्त कृतज्ञ हैं। मैं इस कृतज्ञता के आगे कुछ थोड़े से शब्द और जोड़ना चाहता हूं वे शब्द इस प्रकार हैं:-

और बिनम्र निवेदन करते है कि उनके भाषण में निम्नलिखित विषयों को छोड़ दिया गया है जिनका उसमें शासन की उन्नति और जनता में उत्साह, आशा पैदा करने के लिए होना आवश्यक है:—

१. केन्द्र से भेजे हुए सलाहकारों की उपस्थिति का शासन पर प्रभाव;

२. भ्रष्टाचार, कुनबापरवरी और शासन की अयोग्यता को दूर करने की आवश्यकता;

३. जागीर के किसानों की दशा सुधारने के उपाय;

४. पांच हजार रुपये से नीचे की जागीरों की समस्या;

५. सरमायेदारी को समाप्त करने और बेरोजगारी को दूर करने की आवश्यकता;

६. पिछड़ी हुई जातियों को उठाने के सरकार के कदम; और

७. आबू का प्रश्न।"

मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहां तक यह सवाल है कि उक्त भाषण में कई कमियां रही हैं, जहां विरोधी दल के सभी लोग यह कह रहे हैं अपने भाषण में कल से कि उसमें कई कमियां रही हैं, वैसे गवर्नमेन्ट की बेन्चेज की तरफ से भी यह माना गया है कि उसमें कई विषय छोड़ दिये गये हैं। जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है मेरे माननीय मित्र श्री मथुरादासजी माथुर ने यह शब्द अपने समर्थन में कहे हैं कि भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालना बड़ा जरूरी था, लेकिन किसी गलती से रहं गया। जहां तक आबू का सवाल है वहां श्री त्यागीजी ने अपने भाषण में यह कहा है कि यह बड़ा भारी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह इसके अन्दर अवश्य होना चाहिये। इन दोनों ही बातों से जो कि गवर्नमेन्ट दल की तरफ से मानी गई है, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाउस (सदन) इस बात में सर्व सम्मत होगा कि भाषण के अन्दर कुछ कमियां रह गई हैं। अब सवाल यह है कि कितनी है, कौन सी है; जिन पर प्रकाश डाला जाना जरूरी था और जिनको छोड दिया गया है।

उनमें से दो गवर्नमेन्ट दल की तरफ से मान ली गई हैं और बाकी के संबन्ध में कुछ थोड़े से शब्द निवेदन कर देना चाहता हूं।

"केन्द्र से भेजे हुए सलाहकारों की उपस्थिति का शासन पर कैसा प्रभाव पड़ा?" यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे किसी भी सूरत में उस भाषण में से छोड़ा नहीं जाना चाहिये, क्योंकि हम लोग सभी यह जानना चाहते हैं कि गवर्नमेन्ट उनकी उपस्थिति को कैसा अनुभव करती है और खास तौर से उसके संबन्ध में प्रकाश डालना और भी बहुत जरूरी हो जाता है जब कि हमारे भूत-पूर्व मुख्य मंत्री, श्री जयनारायण व्यास, उनकी उपस्थिति के संबन्ध में कुछ कटु आलोचना करते हैं और जिससे हम लोगों क दिलों में यह ख्याल पैदा होता है कि जो केन्द्र से यहां सलाहकार भेजे गये हैं वे हमारे मंत्रियों को सहायता देने, शासन चलाने के तरीकों को सिखाने, गलत रास्ते पर चलने से रोकने के लिए हैं। हमें यह देखना है कि कहीं वे उन्हें अच्छे रास्ते पर जाने के लिए तो नहीं रोक रहे हैं; क्योंकि मैं अभी आपका ध्यान उनके एक लेख की तरफ दिलाना चाहता हूं जो कि श्री जयनारायणजी व्यास ने अपने नाम और दस्तखत से दिया है। दिल्ली के दैनिक हिन्दुस्तान में ३० मार्च को प्रकाशित हुए श्री

जयनारायणजी व्यास का एक लेख है जिसको "राजस्थान की समस्याएं" नाम से लिखा गया है। उस लेख के चौथे पैरे में यह लिखा है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—

आन दी पाइन्ट आफ आर्डर सर, इज इट परमिसिबल फोर दी आनरेबल मेम्बर ऑफ दी हाउस टू रीड इट (आपत्ति, श्रीमन् क्या माननीय सदस्य सदन के समक्ष इसे पढ़ सकते हैं)? एक वैधानिक प्रश्न है और उसे निर्णय के लिए उपस्थित करना चाहता हूं। क्या इस हाउस के किसी सदस्य के लिए यह उचित है कि वह किसी अखबार में से यह चीज पढ़ सके?

माननीय अध्यक्ष:–

कोई लिखित भाषण पढ़ना चाहे तो वह नहीं पढ सकता। कोई रेफरेंस: (प्रसंग) देना चाहे तो दे सकता है।

श्री गोपीलाल यादव:--

(अपना भाषण जारी रखते हुए) "राजस्थान की शासन समस्याओं में विशेषत: दो कठिनाइयां हैं। एक तो यह कि इस राज्य की आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है, दूसरी इसकी शासन व्यवस्था में पूरी सत्ता और उत्तरदायित्व जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध नहीं है। पहली समस्या का तो उस समय आसानी से हल हो सकेगा जब कि सारी योजनायें कार्यरूप में परिणत होंगी जो इस समय चालू या विचाराधीन हैं। दूसरी समस्या के हल होने में समय न लगे। आशा है विधान सभा के चालू होने के बाद यहां के मंत्रिमंडल को स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने का अवसर मिलेगा और जो सलाहकार आदि भारत सरकार द्वारा भेजे गये हैं वे रोजमर्रा के कार्यों में दखल नहीं देकर केवल नीति निर्धारण में ही सरकार को सहयोग देंगे।"

यह शब्द ३० तारीख के पत्र में श्री जयनारायणजी व्यास ने कहे हैं। जिनसे यह साफ झलकता है कि वे (सलाहकार) दखल देते हैं रोजमर्रा के कामों में। हम लोगों के लिए ऑथेन्टिक (विश्वसनीय) तरीके पर राजप्रमुख के भाषण में इस चीज का होना आवश्यक था कि वाकई जहां सरविसेज (सेवाओं) के संबन्ध में राजप्रमुख ने कहा है कि सरविसेज (सेवाओं) ने बड़ी योग्यता से काम किया है, उनकी कार्य की प्रशंसा करनी चाहिये। सरविसेज में वे आजाते हैं, लेकिन वे विशेष स्थान रखते हैं और सेन्टर (केन्द्र) से भेजने के कारण उनका स्थान विशेष है। अतएव इस पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी था। साथ ही (माननीय पालीवाल जी की ओर देखकर) आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस (सदन) के नेता के कारण वह यह अनुभव करते हैं, क्योंकि वह भी उस मंत्री-मंडल के सदस्य थे। अगर उनके सामने से वह मौके गुजरे हों जब कि सलाहकार उनके कामों में बेजा मदाखलत करते हों और उनको स्वतन्त्रतापूर्वक काम नहीं करने देते हों, तो उनका यह काम है कि वह स्पष्ट रूप से उस चीज को इस हाउस के सामने रखें और इस बात के लिये उनको

कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली में सेन्टर (केन्द्र) में भी कांग्रेसी सरकार है, वह हमारे ऊपर उस चीज को लाद रही है और डिसिप्लिन (अनुशासन) के नाते हमें उसे मानना चाहिये। हम सब विरोधी दल के जितने आदमी हैं गवर्नमेन्ट (सरकार) का इसमें साथ देंगे। अगर वे यह अनुभव करते हैं कि सलाहकार उनको गलत रास्ते पर लेजाते हैं और सही काम नहीं करने देते हैं तो वे सेन्टर (केन्द्र) से यह कहेंगे कि उनको सलाहकार की आवश्यकता नहीं है, तो हम एक एक आदमी आपके साथ होंगे। लेकिन यदि वे सलाहकार उनको बुरे काम करने से रोकते हैं, गलतियों से रोकते हैं, लेकिन यदि वे स्वतन्त्रता स्वेच्छाचारिता के लिए चाहते हैं तो फिर मैं यह समझता हूं कि इसकी तरफदारी करने की भी आवश्यकता है।

इसके बाद दूसरा सवाल जो है कि इसमें रखा गया है और जिसका हाउस (सदन) के व गवर्नमेन्ट (सरकार) के सदस्यों ने भी माना है वह है भ्रष्टाचार, कुनबापरवरी, और शासन की अयोग्यता को दूर करने की आवश्यकता। यह एक ऐसा सर्वमान्य प्रश्न है जिस पर कभी दो मत नहीं है। मैं आपको यह बतला देने की आवश्यकता समझता हूं कि पिछले साल बंगलोर में जिस वक्त ऑल इन्डिया कांग्रेस कमेटी (अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी) का सेशन (सत्र) हो रहा था तो भारतवर्ष के प्रधान मंत्री, पंडित नेहरू, ने अपने भाषण में अपने ४ साल के कार्यकाल का रिव्यू (पुनरीक्षा) करते हुए यह कहा था, कि हमें इस बात को मानने में संकोच नहीं होना चाहिये कि कांग्रेस के ४ सालों के शासन में लोगों का चरित्र गिर गया है और शासन के अन्दर बहुत बड़ी गिरावट आ गई है। जब कि सारे देश के अन्दर यह चीज फैली हुई है तो राजस्थान उसका अपवाद नहीं हो सकता है। राजस्थान के लोगों का चरित्र गिर गया है और शासन में कमी और गिरावट भी उसी प्रकार से थी जैसी कि सारे देश की थी तो यह गिरावट क्यों आई? और इस गिरावट को दूर करने के लिए अब तक क्या उपाय किये गये हैं और भविष्य के लिए वह क्या उपाय करना चाहती है? इस बारे में प्रकाश डालना राजप्रमुख के भाषण म बहुत जरूरी था। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि हर प्रकार के भ्रष्टाचार को मिटा दिया जाय, शासन के अन्दर हर प्रकार की इनएफिशियन्सी (अयोग्यता) को दूर कर दिया जाय। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम इस देश के शासन को चला नहीं सकते। इसलिये सबसे पहला ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

जहां तक भ्रष्टाचार का संबन्ध है हमको इस बात का जानना जरूरी है कि पिछले सालों में क्या कोई खास सी० आई० डी० इस बात के लिए मुकर्रिर की गई जो रिपोर्ट दे कि फलां फलां अफसरान आपके रिश्वत लेते हैं और गलत तरीके पर काम करते हैं। कितने केसेज भ्रष्टाचार के पकड़े गए?, कितनों पर मुकद्दमा चला और कितनों को सजाएं मिलीं?

राजप्रमुख महोदय ने लॉ एन्ड आर्डर की समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि इसमें बहुत कुछ कमी हो गई है। मैं समझता हूं कि उसके बराबर ही महत्वपूर्ण प्रश्न भ्रष्टाचार का भी है। उसमें भी यह बताना जरूरी है कि

सन् १९४९ में इतने केसेज पकड़े गए, '५० में इतने पकड़े गए, '५१ में इतने और इसमें ये कमी हुई और उसकी तरफ ये कदम उठाया या नहीं। साथ ही में अपने हाउस के नेता और उनके साथियों को बताना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता हुआ चला जा रहा है? इस भ्रष्टाचार के क्या कारण ह इसको किस प्रकार दूर करना चाहिये? मैं एक चीज अभी इससे पहले कह रहा था, मुझे याद आई कि एक दफा मैं एक बहुत बढ़िया घोड़े पर सवार हो गया; पर वह चला नहीं और जब उसे जबरदस्ती चलाने की कोशिश की तो गलत तरीके पर चलने लगा, भागने लगा। उसके बाद उसी पर जब दूसरा व्यक्ति बैठा तो वह चुपचाप चलने लगा, उसने चूं भी नहीं की, बड़ी अच्छी तरह काम करने लगा और अपनी चाल से चलने लगा। तो मैं आपको बताऊं कि यही हाल सर्विसेज का भी है। जैसे वह घोड़ा इस बात को पहचानता है कि मेरी पीठ पर चढ़ा हुआ सवार सवारी करना जानता भी है या नहीं। ऐसे ही सर्विसेज का हाल है। "सर्विसेज" यह पहचानती है कि हमारी पीठ पर जो मंत्रिमंडल बैठा हुआ है वह पूरी तौर से, ठीक तरह से सवारी करना जानता भी है कि नहीं? अगर ठीक सवार नहीं हुआ तो वह चलेगा नहीं, और अगर चलेगा भी तो गलत तरीके से चलेगा, लात मारेगा। इसलिये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सब से पहले हमको अपनी ही योग्यता का परिचय सर्विसेज को देना है। (करतल ध्वनि)। हमारे अन्दर काबलियत होनी चाहिये। हम अपने सेक्रेटरीज, हैड आफ दी डिपार्टमेंट्स आदि दूसरे लोगों के काम को ही चेक न करें, बल्कि उसमें कुछ सुधार भी करें। हम में से कितने मिनिस्टर ऐसे होंगे जिन्होंने कि देहातों के अन्दर कलेक्टर्स और दूसरे सरकारी महकमों को जाकर देखा, उनकी अलमारियों को खोला और उनमें यह देखा कि कितने कागज कई कई महीनों से पड़े हुए हैं। इसके साथ ही मैं अपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, समय लगेगा मुझे। एक ट्रेनिंग स्कूल के हैडमास्टर ने मुझे वहां की एक फंकशन की ओपनिंग सेरेमनी (उद्घाटन) करने के लिए आमंत्रित किया। वह बहुत ही अच्छी तरह से सजाया हुआ था और सफाई की हुई थी। वे मझे चारों तरफ लेगये, यह दिखाने के लिए कि हमारी सफाई कितनी अच्छी है। लेकिन मैं उनको सबक भी देना चाहता था। मैंने उनकी सफाई की तारीफ की। उसके बाद में उनको एक सबसे अच्छे कमरे में ले गया जिसकी सफाई बहुत ही अच्छी थी उसमें जो बोक्स (सन्दूक) बन्द था। उनसे मैंने कहा कि बोक्स को जरा खोलिए। सन्दूक खोला गया। उसमें कपड़े निहायत गन्दे और बुरी तरह से रखे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि कम से कम यह तो मुझे बताना चाहिये था, गन्दगी को छिपाने से कोई फायदा नहीं, गन्दगी तो बाहर निकाल कर फेंकना चाहिये। यह समझ लेना कि जो आने वाले हैं वे अन्दर की चीज को नहीं देख सकते हैं; यही एक गन्दगी का कारण है। तो जब तक हम इस निगाह से हमारे हर एक कर्मचारी की नहीं देखेंगे और वे यह न समझने लगें, न डरने लगें कि उनके काम को देखने वाले मंत्री, उनके काम को देखने वाले अफसर इतनी तेज निगाहें रखते हैं कि बाहर का ो सवाल ही क्या है स्वंय उनके अन्दर के दिल को आंखों से पहचान सकते हैं, तब तक उनके अन्दर तत्परता, ईमानदारी और योग्यता से काम करने के लिए उत्साह ही पैदा नहीं होगा।

दूसरी बात मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे खुद के कामों का भी असर पड़ता है। अभी कल मेरे कुछ मित्र चुनावों के संबन्ध में बोल रहे थे और यह कह रहे थे कि चुनावों में धान्धलेबाजी हुई। हुई, ठीक है। धांधलेबाजी से कुछ आदमी नाकामयाब हो गये यह महत्व की चीज नहीं है। चीज तो यह है कि हम अपने लिए कुछ ऐसे काम तो उनसे नहीं करा रहे हैं जिससे कि हम उनको रिश्वतें, बेइमानी और अत्याचार करने से भी नहीं रोक सकते। हम उनको तभी रोक सकते हैं, तभी डरा सकते हैं, जब कि हम अपने खुद के निजी लाभ के लिए उन्हें प्रयोग में न लायें। (करतल ध्वनि) एक छोटी सी घटना जो बिल्कुल सच है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मेरे चुनाव के संबन्ध में एक सरकारी अफसर मुझ से मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि यादव साहब, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे दुख है कि मुझ से गलती हो गई है। कांग्रेस के कई मित्रों ने मुझ पर दबाव डाला और उनके दबाव से मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि चुनावों में हमको लाभदायक हो सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों से जमानतें ले लीं और कुछ मुकद्दमों के ऐसे फैसले कर दिये जिससे जहां वोट नहीं मिल सकते वे मिल जाएं। लेकिन् मेरी अन्तरात्मा कहती है कि मैंने यह पाप किया है। मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। और इसका एक ही उपाय है कि जितनी सहायता मैंने उनकी की है उतनी ही आपकी भी कर दूं। इसलिये मुझे आप बतलाए कि क्या कुछ ऐसे आदमी हैं जिनकी कि आप सहायता करना चाहते हैं जिससे वे आपको वोट दें। मैं इस वक्त ईश्वर को साक्षी देकर कहता हूं कि इसका उत्तर मैंने यह दिया कि श्रीमानजी आज मैं चुनाव में खड़ा हूं।

मानवीय श्री टीकाराम पालीवालः--

क्या आप ईश्वर को साक्षी रख कर उनका नाम भी बतला सकते हैं।

श्री गोपीलाल यादवः--

मैं आपको पूरी मदद दूंगा।

श्री जसवन्तसिंहः--

बड़ी मुश्किल हो जायगी।

माननीय अध्यक्षः--

समय का ध्यान रखिये अन्यथा मुझे मुश्किल हो जाएगी।

श्री गोपीलाल यादवः--

मैं समय के संबन्ध में एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो आपने कृपा करके परसों का समय दे दिया, दूसरा हाउस के सामने एक ही अमेन्डमेंट आया है; कोई दूसरा अमेन्डमेंट नहीं है और नियमानुसार २४ घंटे के पहले अमेन्डमेन्ट आना आवश्यक है, जो अब नहीं आ सकता।

श्री जसवन्तसिंह -

पोइन्ट आफ आर्डर सर, अभी मेरे दोस्त ने कहा कि एक दिन का और टाइम दे दिया है। मैं नहीं समझता कि इनके पास ऐसी इन्फारमेशन कहां से पहुंची? क्योंकि किसी को यह हक नहीं है। मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्षजी को भी यह हक नहीं है कि बगैर हाउस की इजाजत के वे अपनी मर्जी से कोई आज्ञा दें।

माननीय अध्यक्ष:--

मैंने कोई ऐसी बात यादवजी को नहीं कही है। और बोलने वालों की जो सूची आई है अगर वह इस समय के अन्दर पूरी नहीं हुई तो हाउस के सामने रख कर इसका समय बढ़ाया जा सकता है।

श्री गोपीलाल यादव:--

मेरे समझने में गलती हुई अध्यक्षजी। प्रारम्भ में ऐसी कुछ बातें आयी थीं जिससे मैंने समझा कि यह एलान कर रहे थे कि यह डिबेट परसों के लिए बढ़ा दी गई है। यह संभव है कि मेरे समझने में भूल होगई हो।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--

मुझे सन्देह है कि मेरे मित्र कहीं दूसरी बातें भी इसी तरह न समझ लें।

श्री गोपीलाल यादव:--

मिनिस्टरी हमारे हाथ आती है और हम उन्हें सबक नहीं दे सकते हैं। मैंने उनसे कहा, मैं कोई सहायता नहीं चाहता हूं। मैं जो चाहता हूं वह यह है कि तुम आयन्दा बदमाशी मत करना (हिअर-हिअर)। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को रोकने का कोई तरीका है तो वह यह कि हमारा हर एक अफसर मिनिस्टर से लेकर नीचे तक खुद अपना चरित्र दिखलावे कि किसी प्रकार की रियायत न हो। सर्विसेज में किसी को जो अयोग्य हों या तरक्की देने के काबिल न हों, तरक्की दे देना या और कोई दूसरी जगह दे देना भी तो निपोटिज्म अथवा भ्रष्टाचार का ही एक अंग है। जब दूसरे आफिसर लोग यह समझ लेते हैं कि बड़े आदमी इस प्रकार के काम कराते हैं और करते हैं तो तुम अपने लाभ के लिए पैसे भी ले सकते हो। इसलिये मैं खास तौर से उन लोगों से, जिन पर शासन का उत्तरदायित्व है, कहूंगा कि हर एक सर्विसेज के लिए इस बात की आवश्यकता है कि वे यह देख लें कि सब आदमी इस बात का ध्यान रख रहे हैं या नहीं; कोई आदमी गलती तो नहीं कर रहा है।

अब मैं दो चार शब्द इनएफिशियेन्सी (अयोग्यता) के बारे में कहना चाहता हूं। इनएफिसियेन्सी (अयोग्यता) से भ्रष्टाचार बढ़ता है। एक छोटी सी चीज मैं आपको याद दिलाता हूं। आज से दो तीन साल पहले कई व्यक्तियों को पेन्शन

पर रिटायर किया गया था; मगर उनके पेन्शन के मामले अभी तक तय नहीं हुए हैं। वे लोग कहते हैं कि उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है और सरकार उनका मामला तय नहीं करती है। इसका नतीजा यह होता है कि जो लोग अब दो चार साल से रिटायर होने वाले हैं वे यह सोचते हैं कि उनको रिश्वत लेकर दो चार साल के लिये गुजारे के पैसे इकट्ठे कर लेने चाहिये ताकि जब तक हमारी पेन्शन का मामला तय होगा तब तक तो आराम से खायेंगे। अत: पेन्शन के जो केसेज हैं, जिनको सरकार अभी तक तय नहीं कर सकी है, उसे तय न करने से भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है ।

दूसरी चीज में आपको जो बताना चाहता हूं वह है जमीनों के पट्टों के सम्बन्ध में। पुराने जमाने में यानि राजाओं के जमाने में किसी भी जमीन का पट्टा किसानों को मई या जून में दे दिया जाता था, उससे अधिक देरी से नहीं दिया जाता था। मगर आजकल पट्टे अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर तक भी नहीं दिये जाते और कार्यवाही चलती रहती है। इसका नतीजा यह होता है कि वर्षा हो जाती है, लोग बाग अपना अपना खेत जोत लेते हैं। यदि किसी ने पट्टा होने से पहले खेत जोत लिया और सरकार ने दूसरे को पट्टा दे दिया तो उस खेत की खड़ी फसल दूसरे व्यक्ति को दिला दी जाती है। इससे बड़ी लम्बी चौड़ी रिश्वतें चलती हैं। यह रोजमर्रा होता है । अब मैं इसका एक और नमूना आपके सामने रखता हूं । कुछ समय पहले भरतपुर में उस स्थान पर जहां पर कि उस समय के चीफ मिनिस्टर, रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर, कमिश्नर, कलक्टर आदि सभी मौजूद थे, मैंने सितम्बर महीने में कहा था कि एक लाख बीघा जमीन यहां पर ऐसी पड़ी है जिसमें कुछ भी नहीं बोया गया है और जिस पर किसी का कब्जा भी नहीं है। "ग्रो मोर फूड"(अधिक धान पैदा करो) आन्दोलन की समस्या हमारे सामने है। इसलिये इस जमीन को यदि बोया जाए तो काफी धान पैदा हो सकता है, अत: इसको जो लोग बोने के लिये तैयार हैं, उनको दे दी जानी चाहिये। कलक्टर साहब ने कहा कि मेरे पास जो हुक्म है वह यह है कि इस जमीन को शरणार्थियों के लिये रिजर्व रखा जावे। मैंने कहा कि सितम्बर का महीना है, शरणार्थी अब आकर यहां क्या करेंगे ?

श्री सम्पतराम:--

माननीय अध्यक्ष, ओन दी पोइन्ट आफ ओर्डर सर, कल संभवत: यह तय हुआ था और सबको सूचित किया गया था, जहां तक मुझे याद है कि प्रत्येक सदस्य अपना भाषण ७ या ८ मिनिट में समाप्त कर दें। क्या मैं यह जान सकता हूं कि कोई व्यक्ति ७-८ मिनिट से ज्यादा समय ले सकता है ?

माननीय अध्यक्ष:--

ये अमेन्डमेंट पर बोल रहे हैं, इसलिये कुछ ज्यादा समय दिया गया है । अब मैं ये इन्हें दो तीन मिनिट से ज्यादा समय देना नहीं चाहता। (श्री गोपीलाल यादव की ओर संकेत करते हुए) मैं आशा करता हूं आप अपना भाषण तीन मिनिट में समाप्त कर देंगे।

श्री गोपीलाल यादवः—

माननीय अध्यक्ष महोदय से में यह कहूंगा कि में बहुत जल्दी करूं तो भी ५ मिनिट तो जरूर लग जावेंगे।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः—

तथ्यों के बारे में कहिये तो ठीक होगा। कहानियें तो बहुत याद रह सकती हैं।

श्री गोपीलाल यादवः—

कहानियें तो नहीं कह रहा हू; तथ्य ही कह रहा हूं; वहां पर राजस्थान के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर श्री हीरालाल शास्त्री मौजूद थे। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि आप अर्जी दें। यदि इसमें आपको संदेह हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। वे यहीं पर रहते हैं।

श्री मथुरादास माथुरः—

नथिंग केन बी सेड इन दी हाउस फोर दी मेन हू इज नोट हीअर। (जो व्यक्ति यहां विद्यमान नहीं हों उनके विषय में सदन में कुछ नहीं कहा जा सकता)

माननीय अध्यक्षः—

यह बिलकुल ठीक है कि जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं हो, उनका नाम लेकर कोई बात नहीं कह सकते।

श्री गोपीलाल यादवः—

मुझे इस बात का दुख है कि जिस चीज को हम वहीं की वहीं तय कर सकते थे उसके लिए ६–७ महीने तक फैसला नहीं किया जा सकता और उसका नतीजा यह होता ह कि लाखों बीघा जमीन बेकार पड़ी रहती है। इसी तरह से जो अनाज इकट्ठा किया जाता है उसके संबन्ध में कई बातें हैं। अनाज स्टोर में पड़ा पड़ा सड़ जाता है; मगर बाजार में समय पर नहीं जाता। यह हमारे शासन की एफिशियेन्सी (योग्यता) का नमूना है जिससे रोजमर्रा हालत खराब होती जाती है। इसके अलावा जागीर के किसानों की दशा सुधारने के लिए जो कार्य किये हैं और जो कानून सरकार ने बनाया है उसके संबन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। जागीर एबोलिशन के बारे में राजप्रमुख के भाषण में जो कुछ कहा गया और कानून बनाया गया वह ठीक है, मगर उसके द्वारा जो कानून बनाया गया उसमें बताया गया है कि किसान को १० गुना लगान अदा करने पर खातेदारी राइट (अधिकार) मिल सकते हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि कोई भी किसान जागीरों में १० गुना लगान देकर अपने और अपनी पीढ़ियों के लिये

खातेदारी हासिल कर सकता है। मैं समझता हूं कि इससे किसानों को कोई राहत नहीं दी गई है। इस कानून से किसी तरह भी किसान का भला नहीं होता। इसके साथ ही साथ सरकार ने पांच हजार के जागीरदारों को ज्यों का त्यों रखा है। ५ हजार से ज्यादा कई जागीरदार हैं और जब वे कायम रह सकते हैं तो जो बड़े जागीरवाले हैं उनके लिए भी यह होना चाहिये था कि वे ५ हजार तक की जागीर तो अपने लिए रख सकते हैं। जिन लोगों के पास एक लाख की जागीरें हैं उनसे सिर्फ ९५ हजार की जागीर ही लेते और बाकी छोड़ देते; यह तो ठीक था। यदि उनके कथनानुसार जागीरी प्रथा ही गलत है तो फिर ५ हजार वाले जागीरदारों को भी इसमें लेना चाहिये था। मैं यह कह सकता हूं कि जागीरदार कुर्बानी करने को तैयार हैं मगर वो महसूस करते हैं तो इस बात को कि कई बड़ी बड़ी इमारतों और मिलों वाले आदमी जो दूसरे मजदूरों का खून चूस कर लाखों की इमारतें बनाये हुए हैं और जिनके हजारों की तादाद में किराया वसूल होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिये उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। आज रुपये की जो कीमत है वह मजदूरों के पीछे है। आज केपिटलिस्ट (पूंजीपति,) करोड़पति ज्यों के त्यों रहने दिये जाते हैं। उनके पास बहुत से मकान हैं जिनका किराया आता है। यह सब दूसरों की महनत से कमाया हुआ है। उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं। मैं यह कहूंगा कि एक तरफ तो आप लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं और दूसरी तरफ सरमायेदारों को, मजदूरों का खून चूसने के लिए छोड़ देना चाहते हैं, यह वाजिब नहीं है। यदि ये दोनों चीजें आप साथ साथ लेते तो जागीरदारों को यह महसूस नहीं होता कि बदला लेने की भावना से यह चीज की गई है।

इसके साथ साथ मैं पिछड़ी हुई जातियों के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। राजप्रमुख ने अपने भाषण में जिन जिन लोगों को पिछड़ी हुई जातियां बताया हैं वे जातियें वास्तव में ज्यादा पिछड़ी हुई नहीं है। उनसे भी ज्यादा पिछड़ी हुई जातियां हमारे यहां पर हैं जिनका जिक्र तक नहीं आया है। जिन पिछड़ी हुई जातियों का जिक्र राजप्रमुख के भाषण में किया गया है उनके प्रतिनिधि भी विधान सभा में मौजूद हैं और दूसरी जगह भी उन्हें लिया जा सकता है। वे नौकरियों में भी जा सकते हैं लेकिन इनके अलावा कई ऐसी और जातियां हैं जिनके पास कोई सहायता के साधन नहीं। इनके पास भी सहायता पहुंच सकती है। मैं यही कहूंगा कि दूसरी जातियों का भी जिक्र होना चाहिये था और मैं गवर्नमेन्ट का ध्यान उन जातियों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनके लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया यदि उस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो उनका बहुत अहित होगा। मैं आपको एक उदाहरण देकर बतलाना चाहता हूं कि जो फौज में भरती करने के लिए अफसर आता है वह यहां की चौपड़ पर जाकर भर्ती नहीं किया करता है। वह तो गांवों गांवों में जाकर भरती करता है और वहीं से वापिस चला जाता है। जो लोग फौज में भरती होकर देश की रक्षा के लिए चले जावेंगे उनके पीछे उनके लड़कों के लिये नौकरियों व पढ़ाई आदि का इन्तजाम नहीं रहता है। इसलिये उनके लिये संरक्षण की बहुत जरूरत है। इसके वगैर काम नही चल सकता। इस पर मुझे अधिक बोलने की

जरूरत नहीं है इन शब्दों के साथ में मेरे मित्र डा० मंगलसिंह और मेरे दूसरे साथियों से प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे इस अमेन्डमेंट को स्वीकार करें और अगर वे स्वीकार करें तो एक मत से इसे हाउस पास कर दे।

माननीय श्री नाथूराम मिरधा:—वित्त मंत्री:

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हाउस में दो रोज से जो वाद विवाद श्रीमन् राजप्रमुख महोदय के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो रहा है उसे लगातार हमने सुना है। विरोधी पक्ष की तरफ से जो बातें कही गई और सरकारी पक्ष की तरफ से जो बातें कही गई उनमें अधिक..........

श्री मानसिंह:—

ओन दी पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, पंजाब असेम्बली रूल्स जो यहां लागू किये गये हैं उनके रूल ९ डी में "गवर्नमेन्ट राइट आफ रिप्लाई" में बतलाया गया है:—

The Chief Minister or any Minister, whether he has previously taken part in the discussion or not, shall on behalf of the Government have general right of explaining the position of the Government at the end of the discussion and the Speaker may enquire how much time will be required for the speech so that he may fix the hour by which the discussion shall conclude.

मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब वाद विवाद कन्क्लूड कर दिये गये हैं और गवर्नमेन्ट की तरफ से जवाब दिया जा रहा है?

माननीय श्री नाथूराम मिरधा:—

मैं पूरा बोला नहीं, आपने समझने की कोशिश नहीं की। मैं भी एक सदस्य की हैसियत से बोल सकता हूं।

श्री मानसिंह:—

मैं इस बात पर रूलिंग चाहता हूं।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—

अभी जो रूल माननीय सदस्य ने पढकर सुनाया है यदि उसे दुबारा पढेंगे तो पता चलेगा कि मिनिस्टर के राइट आफ रिप्लाई से पहले भी कोई मंत्री भी वाद-विवाद में भाग ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष:—

इसमें डिसकशन पर बोलने की मनाही नहीं की गई है।

श्री मानसिंह:–

मैं निवेदन करूंगा कि मंत्रियों को दो दो बार बोलने की इजाजत नहीं दी जाय।

एक सदस्य:–

अध्यक्ष महोदय, बिजनेस रूल्स हिन्दी में छपवा दिये जावें ताकि सदस्य महोदयों को उन्हें समझने में आसानी रहे।

श्री मानसिंह:–

जबानी ही बता दिये जावें क्योंकि कई सदस्य हिन्दी में भी नहीं पढ़ सकते।

उपाध्यक्ष:–

ये रूल्स देर से लागू हुए हैं; इनका हिन्दी अनुवाद हो रहा है।

श्री मानसिंह:–

हिन्दी अनुवाद नहीं है तो यह क्लॉज ब्लेक बोर्ड पर लगा देना चाहिये। कइ लोग हिन्दी भी नहीं समझ सकते।

उपाध्यक्ष:–

आप सूक्ष्म कहना चाहते हैं। कई बोलनेवालों के नाम दर्ज हैं। सदस्य गण इस प्रकार बीच में बोलते रहेंगे तो नतीजा यह होगा कि जिनके नाम पहले दर्ज हैं उन्हें समय नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने भाषण आरम्भ किया है इसलिये पांच मिनिट तक बोल लें।

माननीय श्री नाथूराम मिरधा:–

हाउस के दूसरे सदस्यों को जो समय दिया गया है उनसे ज्यादा समय में भी नहीं लेने वाला था। मुझे दुःख है कि हाउस के एक सदस्य ने, जिनको कानून की धारा मालूम है, उसे समझ करके भी पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर फालतू ही उठाया। अब भी म ज्यादा समय लेनेवाला नहीं हूं।

श्री माधोसिंह:–

पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय अध्यक्ष, एक सदस्य दूसरे सदस्य की त्रुटियों को क्या इस तरह बता सकता ह ?

उपाध्यक्षः–

आपस में इस तरह बहस करने लग जायेंगे, तो जो कार्य होना है वह ठीक तरह से नहीं हो सकेगा। और जब स्पीकार कोई बात कहने को खड़ा होता है उस समय सदस्यों को खड़े होकर बहस नहीं करनी चाहिये न कोई ऐतराज करना चाहिये। मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं क्योंकि इससे हाउस के कार्य संचालन में बाधा पड़ती है ।

(माननीय अध्यक्ष ९–२० पर पुनः आसन पर आसीन हुए)

माननीय श्री नाथूराम मिर्धाः–

माननीय अध्यक्ष, हाउस में गत दो दिनों से बहस हो रही है.......

माननीय अध्यक्षः--

गवर्नमेन्ट की ओर से क्या आप बोलेंगे?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः––

गवर्नमेन्ट की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है।

एक माननीय सदस्यः–

हम सुन नहीं पा रहे हैं –वी वान्ट टू हीअर दी रिप्लाई आफ दी लीडरः (हम नेता का उत्तर सुनना चाहते हैं।)

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः–

मैंने निवेदन किया था कि गवर्नमेन्ट की ओर से उत्तर नहीं दिया जा रहा है। माननीय मंत्री को बोलने का अधिकार सदस्य के नाते भी ह।

माननीय श्री नाथूराम मिर्धाः -

माननीय अध्यक्ष, जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि जिस तरह की बहस यहां हाउस में दो दिनों से देखने और सुनने को मिल रही है उस बहस से इस तरह की बातों से, हम लोग जो उद्देश्य लेकर इस हाउस में आये हैं, वह मुझे तो कम से कम पूरा होने का नजर नहीं आता; मेरे ऐसे विचार बने हैं। यह कुछ हद तक, जैसा कि पहले विरोधी पक्ष से सुना, मुझे आशा थी कि यहां इस तरह की बहस होगी ही। जब कि पहले दिन श्रीमन् राजप्रमुख का भाषण खत्म हुआ था उस दिन विरोधी पक्ष के नेता से मेरी बातें हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम विरोधी पक्ष में है इसलिये हमें तो विरोध करना है ही।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—

On the point of Order, Sir, is it permissible to refer private talks ?

माननीय अध्यक्षः-

विपक्षी पक्ष से इस तरह की व्यक्तिगत (कान्फीडेन्शियल) बातें हुई हों तो यहां नहीं बताई जावें।

माननीय श्री नाथूराम मिरधाः—

यह कोई प्राइवेट बात नहीं थी और न मैंने उनके घर जाकर यह बात कही थी। ऐसा एक रेफरेन्स खुद विरोधी दल के नेता यहां लाये थे।

श्री संग्रामसिंहः—

ओन दी पाइन्ट आफ आर्डर सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हाउस उस समय मीट (बैठक) कर रहा था या आपका मतलब सदन की बिल्डिंग से है?

माननीय श्री नाथूराम मिरधाः—

उस समय हाउस मीट (बैठक) कर रहा था।

एक सदस्यः—

क्या विपक्ष के लीडर साहब बतलायेंगे कि उस समय हाउस मीट कर रहा था?

श्री जसवन्तसिंहः—

यह इतनी झूठी बात है कि मैं इसका उत्तर देना ठीक नहीं समझता।

माननीय श्री नाथूराम मिरधाः—

जिस तरह का इतिहास विरोधी पक्ष का रहा है उसे देखते हुए वे हाउस में इस तरह की बातें करेंगे, यह मैं समझता था नामुमकिन बात नहीं है। इस अभिभाषण पर जो बातें कही गई हैं उनमें से खास खास बातों पर जो मैं विचार रखता हूं वे आपके सामने रखूंगा।

सबसे पहले राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में चुनाव की बात कही। राजप्रमुख के भाषण में जो चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुए उसके बारे में विरोधी पक्ष की तरफ से जो कई बातें कही गयी हैं वे बिलकुल गलत हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि श्रीमन् राजप्रमुख ने जो अपने अभिभाषण में यह बात कही है कि बालिग मताधिकार के आधार पर भारत में प्रथम बार किये जाने वाले चुनाव, जहां पर अभी जनतंत्र शुरु हुआ है वहां पर यह उम्मेद नहीं की जा सकती थी कि वे इतने सुन्दर ढंग से और सन्तोषजनक रूप से हो जायेंगे। जहां तक राजप्रमुख के भाषण

का सवाल है वह तो ठीक है लेकिन इस संबन्ध में भारत के चुनाव कमिश्नर ने भी राजस्थान में निष्पक्ष रूप से हुए चुनावों की प्रशंसा की है। यह क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ था कि यहां के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। यहां पर जिस शान्ति पूर्ण ढंग से चुनाव हुए, राजप्रमुख के भाषण में उसका उल्लेख किया गया है। यह बहुत जरूरी है कि इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। इस काम के लिए जनता तथा सरकारी कर्मचारियों ने जो सहयोग तथा क्षमता दिखलाई है, इस पिछड़े हुए प्रान्त में जिस सुन्दर तरीके से चुनाव सम्पन्न हो गये हैं, वह वास्तव में शोभा की बात है।

इस संबन्ध में विरोधी पक्ष की तरफ से सरकारी कर्मचारियों पर जो आरोप लगाये गये हैं मैं उसके लिए अर्ज करूंगा कि मेरे ख्याल से यदि ये आरोप सही होंगे तो उनकी जांच चल रही होगी। यदि जांच में वे दोषी पाये जायेंगे तो सरकार जरूर उनके खिलाफ कदम उठायेगी, यह मैं कह सकता हूं। यह हर सरकार का फर्ज है, लेकिन इस संबन्ध में विरोधी पक्ष ने जो रवैया अख्त्यार कर रखा है वह मुझे गलत लग रहा है। उनको याद होना चाहिये कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ क्या क्या प्रचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गायें कटवाती है, भाई बहनों की शादियां करवायगी, कांग्रेस इस तरह से हमारे देश को पीछे ले जाने वाली है। वे ही प्रचारक आज यहां बैठे हैं। हमारे राजस्थान का दुर्भाग्य है कि जिन आदमियों का इतिहास कल तक यह था कि गरीबों की छाती पर बैठकर उनका शोषण करना, आज वे हमारे सामने बैठे हैं। जिन लोगों ने इस देश को ऊंचा उठाया है, उन लोगों को छोड कर, हमारा दुर्भाग्य है जनता ने उन गलत आदमियों को चुनकर यहां भेजा है, जो लोग हमेशा से उन लोगों को दबाने की चेष्टा करते थे, जो इस देश को गिराने की रात दिन कोशिश करते थे। यह जन तंत्र का दुर्भाग्य है। मैं किसी के प्रति कुछ नहीं कहना चाहता। वे खुद जानते हैं। उनका इतिहास बताता है कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया ?

श्री जसवन्तसिंह:--

हम माननीय सदस्य से यह जानना चाहते हैं कि हमारा पिछला इतिहास क्या रहा है, क्या वे इस पर भी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री मानसिंह:--

वी स्ट्रोंगली रीजेन्ट दीज वर्ड्स (हम इन शब्दों के विरुद्ध रोष प्रकट करते हैं)। वी वान्ट एरूलिंग आन दिस (हम इस पर निर्णय चाहते हैं)

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--

अध्यक्ष महोदय, डिसकशन (वाद-विवाद) में जो गंभीरता रहनी चाहिये थी वह नहीं रही। उसकी शुरूआत कहां से हुई, कैसे हुई, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। शायद सभी लोग जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे चाहते हैं कि

आप हमें डाइरेक्शन दें। छोटी छोटी बातों में पाइन्ट आफ आर्डर्स रेज किये जाते हैं तथा जो दूसरी छोटी बातें होती हैं अगर वे नहीं हों तो अच्छा है।

माननीय श्री नाथूराम मिरधाः—

(अपना भाषण जारी रखते हुए) हाँ, मैं आपके सामने जो अर्ज कर रहा था कि व्यवस्था यानि लॉ एण्ड आर्डर (कानून तथा व्यवस्था) के बारे में जिस तरह की बातें हुई उस संबन्ध में कोई कन्सट्रक्टिव (रचनात्मक) सुझाव हाउस के सामने नहीं रखा गया है। केवल अखबारों का रेफरेन्स दिया गया है कि राष्ट्रदूत में यह कहा गया है उसको हम चेलेन्ज करते हैं। इसमें क्या चेलेन्ज करने की बात थी? अखबारों की बातों से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। पूरे उनके सबूत होंगे तभी कोई कार्यवाही की जा सकती है। उनकी बातों से किसी पक्ष के लिए कोई विचार नहीं बनाये जा सकते हैं और न गवर्नमेन्ट कोई कदम उठा सकती है। अखबार में कई बातें होती हैं उनकी बुनियाद पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। कानून के आधार पर ही सारी बातें चला करती हैं। ऐसे सुझाव सदन के सामने आने चाहिये कि आखिर इस समस्या को आगे किस तरह से सुलझाना चाहिये। वह हमारे किसी विरोधी पक्ष के सदस्य की तरफ से नहीं आया है। यह बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि इस हाउस में बैठकर जो बातें करते हैं, एक दूसरे के ऊपर छींटा–कशी करते हैं या इस तरह की बेबुनियाद की बातें किया करते हैं उनमें सहयोग की भावना केवल नाम मात्र की होती है। सहयोग की भावना हरगिज नहीं होती है। इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर भी दो दिनों की बहस में यह सहयोग की भावना बिलकुल नहीं मिली, बल्कि एक दूसरे पर छोटी छोटी बातों पर छींटाकशी की गई। ये जो बातें की गई हैं, ठीक नहीं थी। ऐसा मेरा ख्याल है।

श्री देवीसिंहः--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दो रोज से हाउस के सामने डाक्टर मंगलसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा था कि राजप्रमुख के अभिभाषण पर हाउस की तरफ से एक मत होकर धन्यवाद दिया जाय, इस पर विचार चल रहा है। शिष्टाचार के नाते हमें राजप्रमुख के उस अभिभाषण पर जरूर धन्यवाद देना चाहिये और मेरे ख्याल से हमारा विपक्षी दल इस बात के लिए तुला हुआ नहीं है कि हमें हरेक चीज का विरोध करना चाहिये। परन्तु कुछ ऐसी चीजें हमारे देखने में आई हैं जिनके कारण राजप्रमुख के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है उसको मन्जूर करने में हम अपने आपको असमर्थ पाते हैं। मैं हाउस के सामने कुछ वे बातें रखना चाहता हूं जो कि हमारे राजप्रमुख के अभिभाषण में होना हमारे प्रान्त की दृष्टि से बहुत आवश्यक था। सबसे पहले, शायद सदन के तमाम सदस्यों को मालूम होगा कि हमारा प्रान्त राजस्थान अपनी एक अलग भाषा रखता है वह है राजस्थानी, जो कि हमारी मातृ भाषा है। परन्तु हमारे इस अभिभाषण के अन्दर राजस्थानी भाषा के ऊपर कोई बात नहीं कही गयी है। हो सकता है कि मेरे कई मित्र यह भी कहें कि

राजस्थानी कोई अलग भाषा नहीं है। परन्तु अगर वे भाषा विज्ञान के महान पंडित डा० टेसी टोरी और चटर्जी के लेखों को देखेंगे तो उन्हें यह साफ मालूम हो जायगा कि राजस्थानी एक अलग भाषा है और संसार की तमाम भाषाओं में उसका (१७) सतरवां स्थान है (करतल ध्वनि)। हमारे प्रान्त की इतनी महत्वपूर्ण भाषा होते हुए भी दुर्भाग्य है कि हमारी राजस्थानी भाषा के ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। मैं यह मानता हूं कि राजस्थानी को पिछले १०० वर्षों से भुलावे में डाला गया, पिछले १०० वर्षों से हमारी प्रान्तीय भाषा राजस्थानी निगलेक्टेड (भूली सी) रही। परन्तु हमें यह आशा थी कि आज चुनी हुई सरकार के बनने के बाद, जनता की सरकार के बनने के बाद, अब हमारी जनता की जो भाषा राजस्थानी है उसको इस तरह से भुलावे में नहीं रखा जायगा जिस प्रकार कि पिछले १०० वर्षों में रखा गया। परन्तु हमें इसका खेद है कि आज भी हमारी राजस्थानी भाषा के ऊपर एक भी शब्द नहीं कहा गया और न ही हमारी सरकार ने अगले पांच वर्षों के कार्य-क्रम में राजस्थानी को बढ़ाने के लिए कोई विचार ही रखा। राजस्थानी भाषा के बारे में मालूम होगा कि इसका व्याकरण असोपाजी ने उस समय तैयार किया था जब कि आज की राष्ट्र-भाषा हिन्दी का व्याकरण भी तैयार नहीं हुआ था। उसके पहले हमारी राजस्थानी भाषा की व्याकरण तैयार थी। आज हमारी राजस्थानी के अन्दर हज़ारों ग्रन्थ इतने सुन्दर पड़े हुऐ है कि जिन के प्रकाश में आने से संसार को यह मालूम हो जायगा कि राजस्थानी भाषा किसी भी भाषा से पीछे नहीं है।

दूसरा विषय जो कि हमारे राजप्रमुख के अभिभाषण में मेरे ख्याल से शायद गलती से छूटा होगा, वह यह कि हिन्दुस्तान अपनी कुछ विशेषतायें संसार के अन्दर रखता है। और इन विशेषताओं में हमारे भारतवर्ष की संस्कृति एक मुख्य चीज है। तो हम इस दृष्टि से भी कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में राजस्थान का एक बहुत बड़ा स्थान है और राजस्थान उसकी रक्षा करता रहा है। परन्तु कुछ समय से हमारी सांस्कृतिक चीजों के लिए अवसर नहीं है। हमारी जन-प्रिय सरकार को चाहिये कि वह उन सांस्कृतिक चीजों को तरक्की दे जैसे कि राजस्थानी चित्रकला। हमारे कुछ बन्धु यह कह सकते हैं कि हमारे प्रान्त की आर्थिक हालत तब तक नहीं सुधर जायगी जब तक सांस्कृतिक चीजों के विकास का कोई अवसर नहीं मिलेगा। हमारे प्रान्त की आर्थिक हालत तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक हम इन सांस्कृतिक चीजों पर पैसा नहीं लगा सकते। यह बात मेरे ख्याल से किसी हद तक ठीक है। परन्तु हमारे उन साथियों को यह भी नहीं भूलना चाहिये कि आज राजस्थान में जो कुछ ऐसी वस्तुयें मौजूद हैं जो राजस्थान के लिए ही नहीं परन्तु सारे भारत के लिए गौरव की चीज है। जैसे चन्द्रावती, कोलवी, मैनाल नगरी, बारोली आदि जो स्थान हैं उनके अन्दर हमारी प्राचीन कला के बहुत कुछ काम मौजूद हैं। अगर आज हम उनको ५ साल के लिए छोड दें तो बहुत समय के पुराने होने के कारण धीरे धीरे वे नष्ट हो जायेंगे। और जब पांच साल बाद हमारी सरकार इन प्राचीन चीजों को सुधारने की बात सोचेगी तो उस समय वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। चन्द्रावती, जब कि टोड महोदय राजस्थान में आये थे, उस वक्त वहां गये थे और वहां की कला की उन्होंने बहुत तारीफ की थी। परन्तु

दुर्भाग्य है कि आज वहां जाकर देखते हैं तो सिर्फ दो स्तम्भों के सिवाय चन्द्रावती में कुछ भी नहीं है। आस पास के देहातों के लोग उस चीज को नहीं समझने के कारण वहां से सामान उठा उठा कर ले गये और उस सामान को मकान बनाने के काम में ले लिया गया और आज वहां चन्द्रावती नाम की चीज शेष नहीं रह गयी है। इसलिये इस चीज की ओर हमारी सरकार का ध्यान आकर्षित करना मैं आवश्यक समझता हूं।

तीसरी जो महत्व की चीज है उसके ऊपर राजप्रमुख ने जरूर कुछ दो शब्द कहे हैं वह है हमारे राजस्थान का पशु-धन। हमारे ९० प्रतिशत ग्रामीण बन्धु ज्यादातर इस पशु-धन पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हमारे राजस्थान के अन्दर पशुओं में ३ तरह के पशु हैं; एक तो है भेड़ जिसके द्वारा ऊन का उत्पादन होता है और हमारा राजस्थान ऊन उत्पादन की दृष्टि से हिन्दुस्तान में बहुत ऊंचा स्थान रखता भी है। परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कितने ही अर्से से इसकी तरक्की की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसका जो उत्पादन बढा है वह प्राकृतिक तौर पर ही बढा है। पिछले १०० वर्षों से इसकी वही हालत चलती जा रही है, पर इसकी उत्पादन वृद्धि में किसी प्रकार के सुधार की कोई कोशिश नहीं की गई है। आपको शायद यह तो मालूम ही होगा कि हमारे बीकानेर से भेड़ ले जाकर आस्ट्रेलिया की मेरीनो नस्ल तैयार की गई है; तो कोई कारण नहीं कि जो चीज आस्ट्रेलिया में जाकर एक संसार की प्रसिद्ध नस्ल बन जाती है तो वह हिन्दुस्तान में नहीं बन सकती। उस नस्ल को हमारे यहां बढाने की कोशिश ही नहीं की गई। यह मैं मानता हूं कि राजस्थान अभी ही बना है परन्तु जहां तक मेरा ज्ञान है, इसमें पिछले ४ सालों में कोई कार्य नहीं किया गया है इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करता हूं कि जब तक इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जायगा हम अभिभाषण पर धन्यवाद में सम्मिलित होने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं।

श्री हरदेव जोशीः—

अध्यक्ष महोदय, अभी वक्ताओं में काफी चर्चा हो चुकी है और उनके विषयों पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद में आज हम इस स्थान पर मिलते हैं और सरकार की रीति नीति और उनकी कार्यवाहियों पर प्रकाश डालते हैं, किन्तु हमें यह भूलना नहीं चाहिये कि जिस स्थान पर, जिस पृष्ठ भूमि में हम मिलते हैं वह क्या थी और किस प्रकार से आज की इन स्थितियों का निर्माण किया गया है। हिन्दुस्तान की आजादी की लडाई कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई और वर्षों की इस लडाई के बाद में सौभाग्य से १५ अगस्त, १९४७, को हिन्दुस्तान आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के सामने एक जो समस्या थी वह यह कि आजादी के बाद इस देश का नक्शा किस प्रकार का बने। मेरे मित्र ने राजाओं के बारे में और जागीरदारों के बारे में, उनके सुधारों के बारे में, पूंजी-पतियों के बारे में, किसानों के बारे में प्रकाश डाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को समझना पडेगा कि आज किस प्रकार का नक्शा हम अपने देश के लिये बनाना चाहते हैं और किस

प्रकार हमें अपने देश का निर्माण करना चाहिये। जहां तक राजाओं का सवाल है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार कांग्रेस ने राजा-महाराजाओं के हकूक कायम किये हैं, सुधार और साधन कायम किये हैं मेरे मित्र को उस पर एतराज है। राजा-महाराजाओं के बारे में इस प्रकार की जो चीज सामने आई है जिसको न तो राजस्थान की सरकार, न राजस्थान की जनता और न दूसरे लोगों की सरकार उसको पसन्द करेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर देश के किसी कोने से, हिन्दुस्तान के बारे में, उसके जान के बारे में, उसकी सुरक्षा के बारे में कोई बात आती है तो श्रीमन्, यह उपयुक्त होगा कि उसका जितनी कड़ाई के साथ मुकाबिला किया जा सकता है, किया जावे। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जागीरदारी प्रथा के बारे में, सरकार और देश के सामने यह समस्या थी कि जो संसार के प्रचलित तरीके हैं उसमें से हमारी सरकार कौनसा तरीका अपनाये? आया रूस का, चीन का या काश्मीर की सरकार ने जो जागीरदारी को मिटाने के लिये रास्ता अपनाया है, अपनाए? मैं यह नहीं कहना चाहता कि कौनसा रास्ता अपनाया जाना चाहिये था। मगर यह कहूंगा कि जो तरीका राजस्थान सरकार ने अपनाया और जिसके लिये भारत सरकार ने अपनी सम्मति दी है वह तरीका सबसे सरल और उपयुक्त है। आज का समय यह नहीं है कि जागीरदारों के साथ बदला लेने की भावना से काम लिया जाय। आज यह प्रश्न नहीं कि किस प्रकार इसका निर्णय किया जावे। सवाल यह आता है कि जागीरदारी प्रथा जल्दी से जल्दी समाप्त हो और जागीरदारों से जल्दी से जल्दी पजेशन लिया जावे। रहा अब ५०००) रु० की जागीरों का सवाल। इसके बाद इसके नीचे की जागीरदारी को खत्म किया जावेगा जिससे कि उनके नीचे रहने वाली जनता की हालत सुधर सके। यह कोई बात नहीं है कि बदला लेने की भावना से काम किया जा रहा है। अगर बदला लेने की भावना होती तो राजस्थान सरकार उन तरीकों को काम में लेती जो दूसरे काम में लिये गये हैं, या कोई दूसरा रास्ता निकालती। मगर इस पर पूर्णतया विचार करने के बाद में कांग्रेस सरकार ने यह तरीका पास किया। अब यह कहा जाता है कि जागीरदारी एबोलीशन कानून को एसेम्बली में क्यों नहीं लाया गया जबकि एसेम्बली शीघ्र मिलने वाली थी? इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज इस प्रकार की समस्याओं के बारे में एक क्षण भी खोना ठीक नहीं है। यह जनता के हित के लिये किया गया है। इसमें जनता के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर जो भावनाएं पैदा की जा रही हैं वे जनता की भावनाएं हैं और जनता की भावनाओं को कोई भी रोक नहीं सकता। अगर सरकार उसको नहीं करती है तो जनता बवन्डर मचाएगी और फिर तबाही पैदा होगी। इन चीजों का निर्णय सरकार करने वाली नहीं। इन चीजों का निर्णय करने वाली जनता है और वही रहेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो समस्याएं आज सामने हैं उसकी मांग को रोकने की जरूरत नहीं है और उसको रोका भी नहीं जा सकता है। आज की समस्या, जैसा मेरे मित्र ने बताया है, रेन्ट कन्ट्रोल की आवश्यकता है। उनको निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी सुलझाया जाना चाहिये। ओपोजिशन का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि जो उचित सुझाव हों उनका स्वागत किया जाना चाहिये और उनके बारे में उनका आदर किया जाना चाहिये।

किन्तु जैसा कि अभी दो दिन से बहस चल रही है और जिसको मैं सुन रहा हूं कई बार ऐसी स्थिति पैदा होती है जो कोलाहल पैदा करने वाली होती है। पहले ही पहले हमारे माननीय मित्र ने सफेद टोपी पहनने पर शंका पैदा की और माननीय अध्यक्ष के पहनाव पर ऐतराज उठाया और अपने दिल की शंका बतलाते हुए कहा कि उन्हें सफेद टोपी पहिनना छोड देना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ऐसा स्थान है जिस पर हमें बहुत कम शंका की जरूरत है। अगर आज सफेद टोपी नहीं होती और लोग इस प्रकार की शंका करते रहते तो जो चीज आज हमारे सामने हो रही है और जो हिन्दुस्तान का नक्शा आज नजर आ रहा है, इस प्रकार से नहीं दिखाई देता। सफेद टोपी ने देश में से अंग्रेजों को निकाल कर उदाहरण पेश किया है और सैकडों वर्षों की गुलामी से जनता को मुक्ति दिलाई है और गुलामी को दूर किया है। मैं नहीं समझता कि लीडर आफ -ओपोजिशन, स्पीकर जैसे महानुभाव को सफेद टोपी उतारने की सलाह दें।

मेरे एक मित्र ने कहा कि कई कानून ऐसे हैं जो पहले से चले आते हैं उनको हटा दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं भी उनसे सहमत हूं। उदयपुर डिविजन में चौकी एक प्रथा है जिसको हटा दिया जाना चाहिये था। रास्ते की चौकियें राजस्थान में किसी भी जगह नहीं है। मैं समझता हूं कि भारतीय विधान सभी जगह लागू है तो फिर ऐसी असमानता क्यों ? इसको दूर किया जाना चाहिये। इसी प्रकार गुमट क्षेत्र में नाजायज तरीके से शराब बनती है और आती जाती है। इस प्रकार की चीजों को दूर किया जाना चाहिये।

(माननीय अध्यक्ष के चले जाने पर उपाध्यक्ष, श्री लालसिंह शक्तावत, ने अध्यक्ष का पद ग्रहण किया)

जो बात राजप्रमुख के भाषण में कही गई है निश्चित रूप से मानने योग्य है। विरोधी दल को संदेह है कि आया उन बातों पर, जो राजप्रमुख ने अपने भाषण में कही हैं, अमल होगा या नहीं। विरोधी दल को शंका है कि निश्चित चीज को अमल में लाने में उनका कोई हित नहीं। मगर मैं यह कहूंगा कि जो वायदे इस एसेम्बली में किये गये हैं उनको पूरा कराने की जिम्मेदारी सरकार की ओर से, सरकारी पक्ष के पीछे बैठने वाले और विरोधीदल के सभी महानुभावों की है। किसी की नियत पर शंका नहीं की जानी चाहिये और जो जो वायदे किये गये हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने में, जो कुछ भी कुरबानी हमको करनी पडे, करनी चाहिये।

श्री कानसिंह

ओन दी पोइन्ट ऑफ ओर्डर सर,

क्या नये अध्यक्ष महोदय ने इनके बोलने की अवधी बढ़ा दी है।

उपाध्यक्षः—

मैंने इनको कोई समय नहीं दिया। (श्रीहरिदेव जोशी को सम्बोधित करते हुए) आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री हरिदेव जोशी:—

जहां तक राजप्रमुख के भाषण का प्रश्न है, निश्चित रूप से कुछ चीजें रह ही जाती हैं। यह नहीं हो सकता कि भाषण में जो कुछ निश्चित अवधि के भीतर कहा जा सकता है वही विषय उसमें आते हैं। यह समझना कि सारी समस्याएं आ जानी चाहियेः ठीक नहीं। यदि सारी समस्याएं आ जाती हैं तो वह एक इतनी बडी पुस्तक बन जाएगी जो एक आदमी से निश्चित समय में पढ़ी नहीं जा सकती। कुछ समस्याएं ऐसी है जिनकी ओर ध्यान देना चाहिये। आज भी जो राजस्थान का टोप हेवी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बाहर के लोग, जो दिनों दिन बढते जा रहे हैं, और बाहर से आने वालों का एक तांता सा लगा हुआ है, मुझे भय है कि यदि उसको जल्दी न रोका गया तो मैं समझता हूं कि सर्विसेज में हमारे यहां के योग्य व्यक्तियों के आने का कोई अवसर नहीं रहेगा। हमारा प्रान्त एक गरीब प्रान्त है और पैसे की कमी है। मैं आशा करता हूं कि मौजूदा सरकार और पिछली सरकार ने इनको रोकने की कोशिश की होगी और यदि नहीं की है तो अब करेगी। इसी प्रकार दूसरे लोगों ने सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के बारे में, जो अनेक प्रकार से अनुचित प्रभाव काम में लाने आदि की शिकायतें की है मैं उस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और इन बातों के साथ मैं श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण का स्वागत करता हूं और डा० मंगलसिंहजी ने जो प्रस्ताव किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री माधोसिंहः-

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल हमारे विरोधी दल के नेता ने श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण का विरोध करते हुए बहुत से मामलों पर प्रकाश डाला है। मुझे भी आपने समय दिया है इसलिये मैं भी पांच मिनिट तक बोलकर हाउस के सामने कुछ रोशनी डालूंगा। शिक्षा विभाग के लिए श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में बहुत सी बातें कही हैं। लेकिन यहां पर मैं एक स्कूल के बारे में बताना चाहता हूं कि वह स्कूल गवर्नमेन्ट द्वारा चलायी जाती थी और अब सरकारी एड (सहायता) ३ साल में उस स्कूल को एक पाई भी खर्च के लिए नहीं दी। वह स्कूल इसलिये रुक गई है कि जोधपुर में जब लोकप्रिय कहलाने वाली सरकार बनी तो उसने एक वर्ग विशेष की स्कूल समझ कर उसमें गड़बड़ की। उसका नतीजा अब भी हमें भोगना पड़ रहा है।

मेरा दूसरा सवाल एग्रिकलचर (खेती बाड़ी) के बारे में है। जवाई बन्द से जो सिंचाई होती है उस पर ७ रु० ८ आना आबपाशी टेक्स लगाया गया है। जब कि आपको खेती में तरक्की करनी चाहिये, आप काश्तकारों पर नये कर

लगा कर उन्हें तंग करते हैं। इतना बड़ा टेक्स लगाना कहां तक वाजिब है–यह सोचने की बात है। दूसरी बात यह सुनी गई है कि जवाई के काश्तकारों को जमीन से बेदखल करके उनकी जमीन का पुनः वितरित किया जायगा, जिससे काश्तकारों को तकलीफ होगी व उन पर जुल्म होगा।

श्री हरिदेव जोशीः----

आन दी पाइन्ट आफ् आर्डर सर, क्या कल्पना के आधार पर कुछ कहा जा सकता है ?

माननीय अध्यक्षः—

कल्पना की कोई बात नहीं है। माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट किये हैं।

श्री माधोसिंहः—

(अपना भाषण जारी रखते हुए) तीसरी बात यह है कि एग्रिकलचर टेक्स (कृषि–कर) के नाम से एक और बोझा आने वाला है। उससे काश्तकारों पर भारी वजन पड़ेगा।

चौथी बात जो सरकार के मैं ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि चुनाव के दिनों में शिक्षा विभाग की मोटरें काम में लायी गयी; एक पार्टी का प्रोपेगेन्डा करने के लिए। यह राजस्थान के राजनैतिक सलाहकार, श्री भिडे, ने भी देखा और उसके लिए मना किया।

जो राजनैतिक समझौता एक सरकारी कर्मचारी ने किया उसका उल्लेख विरोधी पक्ष के नेता ने किया है। उसके फल स्वरूप एक महोदय बैठे हैं। अगर मुख्य मंत्री चाहेंगे तो मैं उनका नाम बताने को तैयार हूं ।

एक और बात जो बहुत जोरों से कही जा रही है वह है चुनाव के सिलसिले में। वह यह है कि हमारा बहुमत है इसलिये हम राज्य कर रहे हैं, लेकिन यदि आप वोटों की संख्या देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां विरोधी पक्ष को १९ लाख मत मिले वहां राज पक्ष को सिर्फ १२ लाख मत मिले हैं। इसलिये उन्हें याद रखना चाहिये कि कभी १९ लाख मतों को इस प्रकार ठुकराकर कोई काम नहीं किया जा सकता।

राजस्थान में शान्ति और व्यवस्था का जो हाल है उसके संबन्ध में बहुत कुछ कह दिया गया है; लेकिन इस बारे में कांग्रेस पार्टी के अखबार जो प्रोपेगेन्डा कर रहे हैं वह भी हमारे प्रान्त की शान्ति और व्यवस्था में बहुत बडी बाधा पैदा कर रहे हैं। अभी एक पत्र ने हमारे प्रान्त के आइ. जी. पी. के खिलाफ कुछ लिखा था।

वेनगार्ड अखबार में लिखा था

"इस तरह से कांग्रेसी अखबार राज्य में गन्दा प्रचार करते हैं।"

श्री हरिदेव जोशीः—

क्या इस प्रकार किसी अधिकारी का नाम लेकर चर्चा की जा सकती है।

माननीय अध्यक्षः—

आपको किसी का नाम नहीं लेना चाहिये आप रेफरेन्स दे सकते हैं: किन्तु किसी पदाधिकारी विशेष का इस तरह से नाम नहीं ले सकते।

श्री माधोसिंहः—

(अपना भाषण जारी रखते हुए) जब चुनाव हो रहे थे उस समय बहुत से माननीय मंत्रियों ने अनेक प्रकार से अपने फंड में पैसा जमा किया। एक जगह का उदाहरण है; एक व्यक्ति किसी अपराध में पकड़ लिया गया था। जब माननीय मंत्री उस गांव में दौरे में पधारे तो उस व्यक्ति से रुपया अपने फंड में लेकर उस आदमी को छोड़ दिया (शर्म–शर्म)

श्री हरिदेव जोशीः—

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार एक पार्टी पर कीचड़ उछाला जा सकता है।

श्री माधोसिंहः—

(अपना भाषण जारी रखते हुए) श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में जागीरी प्रथा के बारे में जो कुछ कहा गया है उससे यह पता चलता है कि राजप्रमुख का भाषण केवल जागीरी प्रथा के बारे में था। उसमें और कोई महत्व की बात नहीं थी; जिस पर प्रकाश डाला गया हो। हम लोग भी यह नहीं चाहते कि जागीरदारी प्रथा को रखा जाय लेकिन इसे राजनैतिक रंग नहीं दिया जाय। जिस प्रकार का व्यवहार एक के साथ किया जाता है उसी तरह का समान व्यवहार भी दूसरे के साथ होना चाहिये।

(समय समाप्ति की सूचना दी गई।)

श्री दिलीपसिंहः—

ओनरेबल स्पीकर (माननीय अध्यक्ष), मैं तो अंग्रेजी बोलना चाहता था किन्तु कई सदस्य यहां अंग्रेजी नहीं जानते हैं इसलिये मैं हिन्दी में बोलने की कोशिश करूंगा। इसमें मेरी गलती नहीं। मैं जब पढ़ने लगा था तब अंग्रेजी का

जोर था इसलिये मेरा अभ्यास अंग्रेजी में ज्यादा है। बहुत से सदस्यों की इस संबन्ध में तकरीरें हो चुकी है। काफी चिथड़े-चिथड़े इस भाषण के वे कर चुके हैं। मेरे मित्र मथुरादास जी ने जैसा कहा था कि कनविनियेन्टली राजप्रमुख बहुतसी बातें भूल गये। कनविनियेन्टली वे भ्रष्टाचार के विषय को भूल गये। इसी प्रकार आर्म्ड फोर्सेज को भी वे भूल गये। मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि फौज के अन्दर ऐसे सिपाही हैं जिनको दो दो तीन तीन वर्षों से तनख्वाह नहीं मिली, पेन्शन नहीं मिली, छुट्टी नहीं मिली। शेरगढ इलाके को ही लीजिए। वहां के रिक्रुटिंग सेन्टर में १५-२० हजार लोग बगैर नौकरी के बैठे हुए हैं। उनसे वायदे किये गये कि उन्हें पुलिस में नौकरी दी जायगी। इसी प्रकार उदयपुर डिविजन में भी करीब २, ३, ४ हजार व्यक्ति बिना पेन्शन, बिना तनख्वाह के बैठे हैं उनको छुट्टी नहीं मिली है। उनसे भी यह कहा गया कि तुमको पुलिस में नौकरी दी जायगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि २००, ३०० व्यक्तियों से अधिक किसी को नौकरी नहीं दी गई। कई लोग यह कहते हैं कि यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट (केन्द्रीय शासन) का काम था। जरूर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट (केन्द्रीय शासन) का काम होगा; यह मानने को मैं तैयार हूं। लेकिन इस गवर्नमेन्ट का जो तीन साल से काम कर रही है इस संबन्ध में कुछ कार्य नहीं था। श्रीमन् राजप्रमुख, जो आर्मड फोर्सेज के हैड है क्या उनका यह काम नहीं था कि उन सिपाहियों को या अफसरों को नौकरी दिलाते? मैं यह नहीं कहता कि किसी को नौकरी नहीं मिली। जरूर मिली। कुछ इने गिने व्यक्तियों को जो २०-२१ वर्ष समाप्त कर चुके हैं; उनको पेन्शन, जो पेन्शन के हकदार हैं, दिलानी चाहिये। लेकिन उन्ही को नौकरी मिली क्योंकि उनके रिश्तेदार ऑफिसेज में नौकर हैं इस विषय मे यदि इन्क्वायरी कमेटी बिठादी जाय तो मैं उन सब सिपाहियों के और अफसरों के नाम भी बता सकता हूं जिनके रिश्तेदार ओफिसेज में नौकर हैं और सिफारिश की वजह से जिन्हें नौकरी मिली है। उन्हें फायदा मिला है; एक तरफ तो पेन्शन का और दूसरी ओर तनख्वाह का। बहुत से अफसर जिन्होंने मैदाने जंग में, दूसरे महायुद्ध में काम किया, बहुत से अफसरों ने, जिन्होंने कस्टम एक्साइज में नौकरी की, पुलिस में नौकरी की, रंगरुट न होने की वजह से फौज में भरती हुए। जब उनका काम खत्म हुआ उन्हें इन्डियन आर्मी में मिला दिया गया। १०-१२ वर्ष की जिनकी नौकरी थी उन्हें निकाल दिया गया। जिन्होंने कस्टम विभाग और पुलिस विभाग में भी नौकरी की उनको भी छुट्टी मिल गई। उनकी ४-४ महिने की तनखा बाकी है। ऐसी हालत में यह देखना चाहिये कि राजप्रमुख को धन्यवाद कैसे दिया जा सकता है? आर्मी (सेना) के हैड होते हुए भी उन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र तक नहीं किया, इसलिये कभी भी उनको धन्यवाद नहीं दिया जा सकता।

दूसरा, सेटलमेन्ट के आज तक कई प्रस्ताव हुए। उनमें से यह भी था कि इनको गंग केनाल के एरिया में बसाया जायगा। उसके लिए बहुत सी दरख्वास्तें दी गई। सैकड़ों दरख्वास्तें अभी तक मौजूद हैं। मैंने सोचा शायद सिपाहियों की अर्जियों पर सुनवाई नहीं होती होगी, बड़े अफसरों की सुनवाई होती होगी। मैंने भी एक अर्जी दी: लेकिन उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद जब उन्हें पदमपुर के पास नहर के किनारे की जमीनें दिखाने का आदेश हुआ तो इसी बीच गवर्नमेन्ट (सरकार) ने कहा कि हम इन सिपाहियों

को बोर्डर के ऊपर ले जाकर रखें। उन गरीब सिपाहियों ने उसे भी मन्जूर किया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कितने सिपाहियों को जमीनें दी गई और कितने वहां जाकर बसे हैं। मैं यह कह सकता हूं कि मैं खुद वहां गया और वहां के अफसरों से मिला। छोटे छोटे सिपाहियों की तो बात ही क्याः मैंने भी चार अर्जियां दीं। उनका क्या हुआ, क्या नतीजा निकला, उसका पता नहीं। इसके अलावा मुझे यह अर्ज करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन दो बातें राजप्रमुख ने बड़ी आसानी से छोड़ दी हैं। आपको मालूम होगा कि आर्मी (सेना) में जो लाइफ (जीवन) गुजरती है वहां पर सिपाही लोग पैसा नहीं बचा सकते हैं। वहां उनका स्टेन्डर्ड बड़ा ऊंचा होता है। मेरी अर्ज यह है कि जब कभी वे रिटायर होते हैं तो उनके घरवालों की परवरिश करने, उनका काम चलाने के लिए उनका जो भी आधार है वह है पेन्शन . . . . .

(माननीय अध्यक्ष ने उन्हें समय समाप्ति की सूचना दी)

श्री राव दलीपसिंहः--

मेरी घड़ी में अभी ३ मिनिट और बाकी हैं।

श्री कानसिंहः--

ऑनरेबल स्पीकर, सर, वेदर योर वाच इज स्टेन्डर्ड वाच और हिज वाच इज स्टेन्डर्ड वाच। (माननीय, अध्यक्ष महोदय, क्या आपकी घड़ी प्रामाणिक है या इनकी)

श्री राव दलीपसिंहः--

मैं सब सरदारों के सामने उस आर्मी (सेना) के विषय में अर्ज कर रहा था जिस आर्मी के वे हेड आफ दी शो रह चुके हैं: उस आर्मी के लिए यह कहना कि वे अपने भाषण में बड़ी कन्वीनियन्टली भूल गये हैं। उसके लिए मैं सब लोगों को याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आयन्दा.........

(माननीय अध्यक्ष ने उन्हें पुनः समय समाप्ति की सूचना दी)

श्री सम्पतरामः--

सर मे आई स्पीक, सर, (श्रीमन् क्या मैं बोल सकता हूं)

माननीय अध्यक्षः---

यस (हां)

श्री सम्पतरामः--

अध्यक्ष महोदय और आदरणीय सदस्यगण .

श्री कानसिंह:--

ऑन दी पॉइन्ट ऑफ ओर्डर, सर, इस हाउस में संबोधन आप अध्यक्ष महोदय को ही कर सकते हैं और किसी सदस्यगण को नहीं। इस संबन्ध में स्पीकर साहब, मैं आपका रूलिंग चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:--

ऑल दी मेम्बर्स शुड एड्रेस ओनली टू दी चेयर एन्ड नाट ट दी मेम्बर्स (समस्त सदस्यगण केवल अध्यक्ष को ही संबोधित करें न कि सदस्यों को)

श्री सम्पतराम:——

अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख का अभिभाषण राजस्थान की इस चुनी हुई विधान सभा में अपना खास महत्व रखता है। राजस्थान के इतिहास में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के इतिहास में भी यह एक खास पोजिशन रखता है। उन्होंने अपने भाषण में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक पिछली सरकारों तथा आने वाली चुनी हुई सरकार की नीतियों पर प्रकाश डाला है। इसमें दो मत नहीं हो सकते हैं कि किसी भी देश या किसी भी राज्य में बनने वाली सरकार को इस तरह से नीति का दिग्दर्शन, हाउस में चुनकर आये हुए सदस्यों के सामने करना चाहिये। उन्होंने इस राज्य की, इस प्रान्त की लगभग सभी विषयों से संबंध रखने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला है।

इस प्रान्त की सबसे बड़ी समस्या, जागीरदारी पर भी विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। इसमें दो मत नहीं हो सकते कि श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है यदि उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल हमारी चुनी हुई सरकार अपने आने वाले ५ वर्षों में कर देती है तो मेरी यह मान्यता है कि राजस्थान अपने उस स्वप्न को पूरा कर सकता है जिस स्वप्न की कल्पना इसमें की गई है या हमारे विरोधी सदस्यों ने की है। इन शब्दों के साथ में श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण से संतोष प्रकट करता हूं। और धन्यवाद देता हूं।

साथ ही साथ उन्होंने अपने अभिभाषण में राजस्थान के या यों कहिए कि हिन्दुस्तान के पिछड़े हुए समाज के बारे में भी कुछ बातें कही हैं। हिन्दुस्तान की कुछ अपनी समस्याएं हैं, हिन्दुस्तान की कुछ अपनी परम्पराएं हैं। जिस प्रकार दुनिया में हर देश की परम्पराएं होती हैं उसी प्रकार हमारे देश की, हमारे राजस्थान की अपनी अलग समस्याएं हैं, अपनी अलग परम्पराएं रही हैं। जिस आर्डर के रूप में दलित जातियों का सवाल लिया है, जिस तरीके से सारे हिन्दुस्तान में, चाहे वे किसी प्रकार वैसे रहे हों, पिछड़ी हुई जातियां दलित मानी जाती है उनके प्रति हमारी तरफ से बहुत से कुठाराघात हुए हैं। वैसा ही तरीका राजस्थान में रहा है। इस राज्य की जो नीति उनके प्रति है, जो श्रीमन् राजप्रमुख की घोषणा में बताई गई है वह वास्तव में मान्य है और

किसी भी समाज को, जो चाहे बहुत नीचे जा चुका है उसको भी मान्य होगी। समाज के दूसरे सदस्यों को समानता के स्तर पर लाने के लिए इस तरह की बातों की आवश्यकता होती है। मैं अपने विधान में दिये गये इस संबंध के अधिकारों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हिन्दुस्तान की जितनी भी एसेम्बलियां हैं उन सब में हमारे वैधानिक अधिकारो की समुचित व्यवस्था की गई है। हमारे विधान में प्रोवीजन है कि जब किसी भी राज्य में शिड्यूल्ड कास्ट्स ये शिड्यूल्ड ट्राइब्स रहती है उनकी लिस्ट प्रकाशित की जानी चाहिए। उसकी घोषणा हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति, वहां की सरकार के कन्सल्टेशन (परामर्श) से करेंगे। थोड़ी सी गलती जो मैं मानता हूं वह यह है कि बहुत सी दलित जातियां जो कि इन प्रिविलेजेज (विशेषाधिकारों) को एन्जॉय (उपभोग) करने का अधिकार रखती थी वे उन्हें नहीं मिल सके। हमें आशा ही नहीं, बल्कि विश्वास है कि हमारी यह सरकार उस कमी को दूर करेगी और ठीक तरह से उन जातियों को उस लिस्ट में शामिल करने की कोशिश करेगी।

इसके साथ साथ ही नौकरियों के बारे में जिक्र किया गया है। हमारी सरकार ने ठीक तरीके से घोषित किया है कि राज्य की सभी सर्विसेज (सेवाओं) में साढे बारह प्रतिशत के हिसाब से पिछड़ी हुई जातियों और शिड्यूल्ड ट्राइब्स (अनुसूचित जातियों) को रिजर्वेशन (संरक्षण) मिलेगा यह हो सकता है कि राजस्थान के किसी कर्मचारी ने किसी कायदे कानून का पालन नहीं किया हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य ने नौकरियों में उनको ठीक तरीके से रिप्रेजेन्टेशन (प्रतिनिधित्व) दिया है।

हां, यह बात जरूर मेरे दिमाग में आई है कि हमारे विधान में यह साफ लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी शुड बी एबोलिश्ड एन्ड इट शुड बी कनसीडर्ड एज ए क्राइम (अस्पृश्यता हटा दी जानी चाहिये और इसको मानना एक अपराध है।) यह जो अधिकार माना गया है इसके लिए पिछली सरकार ने भी कोशिश की थी। अब आने वाली सरकार इसमें रह गई कमी को थोड़े दिनों में पूरा करने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है।

ये सब बातें साफ तौर से प्रकट करती हैं कि हमारी राजस्थान सरकार, इस सवाल के विषय में, इन पिछड़ी हुई जातियों के प्रति, पूरी तरह से जागरूक है और वह उनके राजनैतिक अर्थों में, सामाजिक व्यवस्था को ठीक तरीके से लाना चाहती है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है।

श्री हरिदेव जोशीः—

अध्यक्ष महोदय, अब तक यह क्रम रहा है कि हर भाषणकर्ता को आह्वान करते थे। अब आगे का क्या क्रम रहेगा मैं जानना चाहता हूं ?

माननीय अध्यक्षः--

जब तक कोई भाषणकर्ता या सदस्य खड़ा नहीं होता है तो मजबूरी से उसका नाम बोलना पड़ता है।

श्री मदनमोहनः—

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख का अभिभाषण जो अभी दो रोज पहले इस सदन में हुआ था उसको लेकर इस सदन के सदस्यों ने काफी बहस की है। शिष्टाचार और सौजन्यता के नाते अगर उस अभिभाषण के लिए उन्हें धन्यवाद देने की बात तक ही यह प्रस्ताव सीमित होता तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर इस सदन में किसी सदस्य को किसी किस्म की आपत्ति नहीं हो सकती थी। मगर श्रीमन् राजप्रमुख ने अपना अभिभाषण इस स्टेट के कन्स्टीट्यूशनल हैड (वैधानिक प्रमुख) के नाते दिया था और पिछली सरकार के कारनामें जो दर्शाये गये, हमारे सामने पेश किये गये, उनका कोई स्थान या महत्व है या नहीं इस पर प्रकाश डालना हमारा कर्तव्य है। हमें यह देखना है कि उस अभिभाषण में जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है, वे कोई ऐसी तो नहीं थी जिससे कि वे धन्यवाद के पात्र हों। हमारे प्रान्त का जैसा गौरवशाली इतिहास है व जैसी सुन्दर परम्परा इस प्रान्त की रही है उसे देखते हुए अगर विरोधी दल निर्भीकता या स्पष्टवादिता से टीका टिप्पणी करे तो मैं आशा करता हूं कि इसके लिए हमारे मित्र, जो सरकारी बेन्चेज पर बैठे हैं, वे भी हमें इसके लिए क्षमा करेंगे। हमारा मतलब सरकार पर व्यर्थ की छींटाकशी करने का नहीं है। हम नहीं चाहते कि विरोध के लिए ही विरोध किया जाय। सत्य तो यह है कि अब तक जो कुछ सरकार ने किया है उन बातों और कामों के संबंध में, उनमें रह गई कमियों के संबन्ध में, हम विरोध करते हुए ध्यान अकार्षित करायें।

हमारे प्रान्त के शासित या जनता का इस बात से कोई प्रयोजन नहीं कि वह किस तन्त्र यानि प्रजातन्त्र या एक राजा के राज्य में रहना चाहती है? उनके लिये तो सिर्फ देखने की चीज यह होती है कि उनके लिए सुख-सुविधा का आयोजन राज्य करने वाली पार्टी कहां तक कर सकती है? जिस राज्य में आराम से खाने को नहीं मिलता है, सुख शान्ति नहीं मिलती है और जिस राज्य के लोग अपने जान माल की हिफाजत को तरसते हैं, उस सरकार को अच्छी सरकार नहीं कहा जा सकता है। हम इन्हीं चीजों को देखते हुए यह देखेंगे कि पिछले तीन चार सालों में हमारी सरकार ने जो प्रबन्ध इस मामले में किया उससे जनता को कितनी राहत पहुंची? मेरे द्वारा, इस बात पर और ज्यादा प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सामग्री का जैसा प्रबन्ध हो रहा है, खाने पीने की जैसी महंगाई रही है, उस पर और विशेष प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। जो लोग बहुत पैसे वाले हैं या जो लोग बहुत गरीब हैं और जिनके घर में हर शख्स महनत मजदूरी करके पेट भर लेते है वे लोग शायद कुछ आराम में हैं: किन्तु मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आजकल जीवन निर्वाह कठिन हो गया है। यह बात किसी सदस्य से छिपी हुई नहीं है। सरकार ने कन्ट्रोल लगाया, प्रोक्योरमेन्ट किया, बाहर से धान मंगाने की योजना भी बनाई, मगर इन सब के बावजूद भी अनाज की कमी रही यह भी आपसे छिपा नहीं है।

दूसरी चीजों को छोड़िये। एक बात इस सदन के सदस्यों के सामने रखते हुए मुझे शर्म सी मालूम होती है। हमारे विश्वबन्धु महात्मा गांधी, जिन्होंने,

जिस नमक के कानून को लेकर ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया, वह नमक आज देहात में मुनस्सर तक नहीं होता। परबतसर जैसी छोटी सी तहसील में जहां से मैं निर्वाचित होकर आया हूं, वहां की जनता ने इस मंत्री मंडल को इस आशय के तार भेजे कि महीनों से नमक के लिए तरस रहे हैं। नमक जैसी चीज जिसके लिए बापूजी ने हमारी पिछली; ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया था उसका समुचित इन्तजाम होना तो दूर रहा वह बाजार तक में नहीं मिलती; तो मैं यह कह सकता हूं कि सरकार का यह काम कोई प्रशंसनीय या सराहनीय नहीं कहा जा सकता।

भारतवर्ष एक कृषिप्रधान देश है। श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में खेती की उन्नति के लिए जिन जिन तरीकों का जिक्र किया है मैं अगर यह कहूं कि वे योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही रहेंगी तो यह अनुचित नहीं होगा । मैं तो समझता हूं कि हमारे प्रान्त के किसी भी डिवीजन में खेती के लिए सुविधाएं देना तो दर किनार रहा: अब तक कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिसके अन्दर आधुनिक तरीकों से, मेकेनाइज्ड तरीकों से खेती की गई हो। उनका प्रदर्शन करने के लिए कोई फार्म तक नहीं है जिसमें आकर काश्तकार लोग देखें कि आधुनिक खेती के तरीके क्या हैं? ऐसी हालत में, जब कि हमारा देश कृषि-प्रधान देश है उसमें यह सुविधा नहीं मिलती है तो किसान लोग, जिनके फायदे का दम भरा जाता है, जिनकी हालत सुधारने के विषय में जगह-जगह कहा जाता है, उन किसानों के लिए इससे क्या फायदे की आशा रख सकते हैं ? इस सम्बन्ध में मुझे ये निवेदन करना है कि खेती के जो नए नए तरीके आपके सामने रखे गये हैं, उनमें यह भी रखा गया है कि नई किस्म के यंत्र, नई किस्म की खाद, टिड्डियों से बचाने के प्रयत्न वगैरह वगैरह हैं, मगर इन तमाम चीजों का प्रयोग सुचारु रूप से न तो अब तक किया गया है और न उसका खास फायदा किसानवर्ग को अब तक पहुंचा है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुल्क का खास धन पशु है; सदन के एक माननीय सदस्य ने अभी आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए बताया था। हमारे यहां नस्ल सुधारने के लिए कोई खास कदम सरकार की ओर से नहीं उठाया गया है। सरकारी महकमे ने जो उदासीनता इस मामले में दिखाई है वह गुरुतर है। परबतसर गांव में एक बहुत बड़ा पशु मेला लगता है: उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जो इन्तजाम जोधपुर रियासत के वक्त में रहता था उसके मुकाबिले में जो इन्तजाम अब होता है वह नगण्य है। उस वक्त हर किस्म की प्रदर्शनी का इन्तजाम किया जाता था। किसानों को नये नये यन्त्र दिखाये जाते थे; खेती के नये नये तरीकों के स्लाइडस और सिनेमा भी भेजे जाते थे। डेरीज में पशु नये तरीकों से किस तरह रखे जाने चाहिये, वह भी वहां दिखाया जाता था। परन्तु इन तीन चार सालों में न तो कोई योजना बनी है और जो कुछ थोड़ा बहुत काम होता था वह भी नहीं हो रहा है। महकमे की बड़ी उदासीनता इन चार सालों में देखने में आई है। डेरीज के सांड अवश्य अपने काम में संलग्न है और जो कुछ सुधार उनको करना चाहिये वह अब भी कर रहे हैं मगर महकमे की तरफ से पूरी उदासीनता है।

लॉ एन्ड ऑर्डर (कानून और व्यवस्था) का जिक्र करते हुए श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में यह बतलाया था कि पिछले ३ वर्षों के अन्दर जुर्म इस स्टेट में कम हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने जुर्म करना कम कर दिया। अगर सही आंकड़े दिये जाते तो पता चलता कि जुर्म कम हुए हैं या ज्यादा। एक चीज में जरूर कहूंगा कि नये किस्म के जुर्म हमारे मुल्क में होने लगे हैं जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित किया गया है। आजकल हमारे मुल्क में दिन दहाड़े लोगों को उठा कर ले जाते हैं और छुपा देते हैं और उनका अब तक पता नहीं चलता। मैं कुछ खास घटनाओं की तरफ ध्यान दिलाता हूं। जोधपुर जैसे शहर में अभी कुछ महीनों पहले डाक्टर सोनी नाम के एक आदमी को उठाकर ले जाया गया। शायद वे जीवित हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को जहां भी हों, शान्ति दे। इतनी बड़ी स्टेट में जब इतना इन्तजाम पुलिस-फौज का है तो क्या इस तरह से उठाकर लेजाये गये आदमी का पता तक नहीं चल सकता। अपनी एक बात मैं आपके सामने रखता हूं कुछ दिनों पूर्व, मेरा खास ममेरा भाई जो १३ साल व कुछ महीनों का था वह बैंक से रुपये लेकर लौट रहा था कि रास्ते में कुछ आतताइयों ने उसे पकड़ लिया और उसे बर्बरता पूर्वक मार कर फेंक दिया। उसका आज तक पता नहीं।

इन घटनाओं के कुछ ही दिनों बाद एक गांव में एक बड़े सेठ के लड़के को कुछ लोग उठा कर ले गए, जिसका आज तक पता नहीं है।

(अध्यक्ष महोदय ने समय समाप्ति की सूचना दी)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी:-

अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमन् राजप्रमुख के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैंने सम्बन्धित भाषण को..........

श्री मदनमोहनः--

ओन दी पोइन्ट आफ आर्डर, सर। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी स्पीच खत्म करने के पहले ही आप अपनी स्पीच शुरु कर रहे हैं, या बिना ७ मिनिट के देखे भाले ही आपने भाषण शुरु कर दिया।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी:-

घंटी बजी इससे मैंने समझा कि आप अध्यक्षजी की आज्ञा का पालन कर अपनी स्पीच को बन्द कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः--

शायद अब आप १-२ मिनिट में ही अपना वक्तव्य समाप्त कर देंगे।

श्री मदनमोहनः--

मैं ३-४ मिनिट में ही अपना वक्तव्य खत्म कर दूंगा।

जागीरदारी समस्या, जागीरदारी उन्मूलन एक्ट का जिक्र करते हुए श्रीमन् राजप्रमुख ने यह फरमाया कि यह ऐसी चीज है जिसकी ओर हम जल्दी ही कदम बढाने वाले हैं। मैं कहता हूं कि इस ओर अवश्य कदम उठाया जाय। हमारे एक कांग्रेसी मित्र ने कहा था कि देशी राजाओं ने समय की गति को समझते हुए अपनी राजधानियों को मिलाकर संयुक्त राजस्थान बनाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया और बड़ा भारी त्याग किया; उसी तरह जागीर-दार बन्धु भी अवश्य ही ऐसा करेंगे। मैं यह मानता हूं कि जागीरदार बन्धु भी इस ओर अवश्य ही त्याग प्रदर्शन करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को आप अच्छी तरह से सुलझाइए। पहले ५ हजार से नीचे की जो जागीरें हैं उनकी समस्या को सुलझाइए। जिनके पास १००-१०० और ५०-५० बीघा जमीनें हैं और जिन पर वे खुद काश्त करते हैं और उसे भी सरकार ले लेना चाहती है तो आप पहले इन जागीरदारों की समस्याओं को सुलझाइए। ऐसा करने से ही किसानों को फायदा होगा। जिस जल्दबाजी से राजस्थान टीनेंसी एक्ट बनाया गया, जिस जल्दबाजी से जागीरदारी एबोलिशन बिल बनाया गया। इस तरह की जल्दबाजियों से तो कभी किसानों को राहत मिलने वाली नहीं है।

सड़कों के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे नागोर की तरफ शायद सफर करने का मोका हमारे माननीय मंत्री महोदयों को मिला या नहीं, यह मैं नहीं जानता। लेकिन जो लोग वहां रहते हैं वे जानते हैं कि उनके स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए वे सडकें काफी हैं। तो मेरा यह आपसे निवेदन है कि अब भी जब कभी सड़कें बनाई जावें तो बिल्कुल ठीक ढंग से हों। चाहे काम धीरे २ ही चले पर जो कुछ भी काम हो वह व्यवस्थित रूप से हो: जिससे कि जनता को फायदा पहुंच सके। इसके अलावा भी और कई बातों की तरफ संकेत करना चाहता हूं किन्तु अब मैं सिर्फ एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाकर अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा।

यह जरूरी है कि जनता को सस्ता न्याय मिले। आज के न्यायालयों में जिस प्रकार अंधेरगर्दी मची हुई है: जिस प्रकार मुकद्दमों की फाइलें फुटबाल बना दी जाती हैं उससे सस्ता न्याय नहीं मिल सकता। छोटे २ मुकद्दमों को कई २ दिनों तक, ८-८, १०-१० साल तक, चलाया जाता है। मुवक्किल इधर उधर भागते २ परेशान हो जाते हैं। ७०-७० मुकद्दमे रोज होते हैं जिन्हें पूरा करना तो दूर रहा हाथ में झेला भी नहीं जा सकता। हमारे यहां पर परबतसर तहसील है: वहां की यह हालत मैं आपको बता रहा हूं। कि वहां पर जब यह बात महसूस की गई तब एक छोटी सी अदालत मकराना में और कायम हुई। मगर वहां का हाल यह है कि वहां न तो बैठने को मकान है, न टेबल, न कुर्सी और न लिखने को कागज। नतीजा यह होता है कि हमको अपने मुवक्किलों

के बयानो के लिए कागज अपने घरों से ले जाना पड़ता है। (करतल ध्वनि) तो इन सारी चीजों को शीघ्र सुधारने की आवश्यकता है। यह चीज जब हम सामने रखते हैं तो हमारे वाम पक्ष के मित्र इस चीज को छींटाकशी समझते हैं। वे समझते हैं कि हम हाउस के सामने उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं—आपके अच्छे कामों में। हम तो यह चाहते हैं कि हाउस का काम अच्छी तरह से चले, अच्छी परम्पराएं कायम हों और इस प्रकार हम कुछ कर सकने में कामयाब हों।

श्री छोटूसिंह:—

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिनों से राजप्रमुख के भाषण पर काफी वाद-विवाद चल रहा है। विरोधी दल के माननीय सदस्यों में से किसी ने किसी पोइन्ट पर और किसी ने किसी पोइन्ट पर, अलग २ पहलुओं पर, राजप्रमुख के भाषण पर वाद विवाद तथा टीका टिप्पणियें की है। वास्तव में दुनियां में सबसे आसान काम यही है कि हम किसी काम को बड़ी आसानी से क्रिटिसाइज (आलोचना) कर दें। किसी भी काम को करने में और कहने में बड़ा अन्तर होता है। राजस्थान का उद्घाटन ३० मार्च १९४९ को हुआ और इस ३ साल के अर्से में राजस्थान के जो एचीवमेंट्स हैं, चाहे आप विरोधी दल के लोग उसको किसी भी तरह क्रिटिसाइज (आलोचना) करें, मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाले इतिहास में यह एचिवमेंटस स्वर्ण अक्षरों में लिखे जायेंगे कि इस तरह से ये एचीवमेंट्स हुए हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि महाराजा अशोक के बाद से ही देश दिन प्रति दिन गुलामी की ओर बढ़ता चला गया और जिस तरह से देश के अन्दर छोटे २ देशी राज्य हो गये, अलग २ राजा उत्पन्न हो गए और देश अलग २ भागों में विभक्त हो गया और आज जो कुछ भी हमारे सामने इस भारतवर्ष का नक्शा है जो कि इतने सालों तक गुलाम रहा है और आज जो भारतवर्ष की इस स्थिति का कारण बन सकता है तो वह यह है कि भारतवर्ष भिन्न भिन्न टुकड़ों में बंटा हुआ रहा और इसका नतीजा यह हुआ कि जब कभी भी देश पर बाहर से आक्रमण करने वाले आए तो एक राजा ने एक का साथ दिया तो दूसरे ने दूसरे का।

अध्यक्ष महोदय, क्या इस बात को अनुभव से नहीं कहा जा सकता कि २ हजार वर्ष तक गुलाम रहने के बाद परम पूजनीय गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया; भारत जो भिन्न २ टकड़ों में बंटा हुआ था उसे एक कर दिया यह एक ऐसा काम कर दिखाया।

राजा मानसिंह:—

आन दी पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

माननीय उपाध्यक्ष:--

आप अपना भाषण जारी रखें।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मंत्री)

मैं सुन नहीं सका।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मंत्री)–

अध्यक्ष महोदय, क्या इस प्रकार की बातें जो कही जा रही हैं हम समझते हैं कि वाजिब तौर से नहीं कही जा सकती है? क्या ऐसी बातें जो कही जा रही है उनके कहने पर कोई ऐतराज नहीं है?

माननीय उपाध्यक्ष:--

(श्री छोटूसिंह को संबोधित करते हुए)

आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री छोटूसिंह:–

देशी रियासतों का जो भारतवर्ष में एकीकरण हुआ है उसको कोई इन्कार नहीं कर सकता और यह बात आने वाले इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जायगी। इस तरह इन तीन सालों के दर्मियान में कई छोटी मोटी बातें ऐसी हुई हैं जिस पर गवर्नमेन्ट कभी......

श्री मानसिंह:–

आन दी पाइन्ट आफ आर्डर, सर, क्या यहां हम राजस्थान के बारे में बोलने के बदले भारतवर्ष के बारे में बोल रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष:--

किसी बात के सिलसिले में और बातें भी आजाती है और छोटी बातों के लिए रोक करना ठीक नहीं। आप भाषण जारी रखें।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मंत्री):—

आन दी पाइन्ट आफ आर्डर, सर,

स्पीच को आगे चलाना नहीं चाहते। राजस्थान भारतवर्ष का एक अंग है। राजस्थान में जो आज हमने राजनीति में उन्नति की है, वह भारतवर्ष के कारण हुई है। मैं नहीं समझता......

श्री मानसिंहः---

आन दी पाइन्ट आफ आर्डर सर,

अभी जो डिस्कशन (वाद विवाद) हो रहा है वह राजप्रमुख के भाषण पर हो रहा है। भारतवर्ष में कांग्रेस को तीन साल काम के लिए मिले हैं वह बहुत कम है; ऐसी बातें हमारे सामने पेश करके हमारा समय क्यों बरबाद किया जा रहा है? अगर आप इतिहास सुनाना चाहते हैं तो हम भी किताबें ले आवेंगे और पढकर सुनाना शुरु करेंगे।

माननीय उपाध्यक्षः--

जितना समय नियत है उतने ही समय में अपना भाषण समाप्त करदें। जिस प्रकार कि दूसरों की बोलने की आजादी है इनको भी बोलने दिया जावे। उनको कोई समय ज्यादा नहीं दिया जावेगा। इसमें कोई बात काबिल ऐतराज नहीं है। भाषण को समाप्त करने दिया जावे। बहुत से सदस्यों (मेम्बरों) को बोलना है इन सबको मौका मिल सके तो उनको तसल्ली होगी।

श्री छोटूसिंहः--

मैं अर्ज कर रहा था कि भारतवर्ष के इतिहास में जो देशी रियासतों का एकीकरण हुआ है निश्चित रूप से स्वर्ण अक्षरों में लिखा जावेगा और आने वाला इतिहास इस बात को बतलाएगा। तीन साल जो काम करने के लिए सरकार को मिले इनमें बहुत सी बातें ऐसी हुई जो गवर्नमेन्ट को करनी थीं किन्तु सरकार उन्हें नहीं कर पाई। लेकिन आखिर इसका कारण क्या है? वह क्यों नहीं कर पाई? इसका कारण वही लोग हैं जो हाउस में बैठकर प्रोपेगेन्डा की बातें करते हैं। बहुत सी बातों पर विरोधी दल की ओर से प्रकाश डाला गया है। मगर जब जागीर एबोलिशन की बात आती है तो केपिटलिस्ट्स (पूंजीपतियों) को खत्म करने की बात करके जागीर एबोलिशन को टालने की कोशिश करते हैं। मैं विरोधी दल की बातों का स्वागत करता यदि वह यह कमिट (वाग्बद्ध हों) करके कहते कि हम जागीरदारी खत्म करेंगे। तो हम भी कमिट (वाग्बद्ध होकर) करते हैं कि हम केपिटिलिस्ट्स (पूंजीपतियों) को खत्म करेंगे। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुझे थोडा समय मिला है और बहुत कुछ कहना है इसलिये इस पाइट पर ज्यादा नहीं कहना चाहता।

दूसरी बात के लिये मैं हाउस का ध्यान फेअर इलेक्शन के बारे में दिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जो लोग यह कहते हैं कि फेअर इलेक्शन नहीं हुए तो मैं इस बात को साफ कह देना चाहता हूं कि दुनिया के इतिहास में इतने बडे पैमाने पर इलेक्शन जैसे कि यहां भारतवर्ष में हुए, कहीं और नहीं हुए। १८ करोड वोटस हैं। इतने अधिक वोटस होने पर भी यह काम जितनी शान्ति से हुआ है वैसा कहीं और नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि हकूमत कांग्रेस की है और चुनाव हुए उस

समय भी हकूमत कांग्रेस की थी। अगर कांग्रेस के फेअर चुनाव नहीं होते तो ओपोजिशन के वे मेम्बर जो यहां इतनी संख्या में बैठे हुए हैं नहीं बैठे होते। यह तो कांग्रेस की उदारता का परिचय है कि कांग्रेस ने कभी भी इस तरह की भावना नहीं रखी कि बदला लें। अगर बदला लेने की भावना होती तो क्या आवश्यकता थी कि रुलर्स को ६ लाख से १५ लाख तक रुपये देती और फिर भी रुपये देते हुए भी कांग्रेस सरकार ने, नेहरू सरकार ने, उन लोगों को चुनाव में खडे होने की इजाजत दी जिनके पास करोडों रुपये की संपत्ति है। यह तो कांग्रेस सरकार की उदारता का परिचय है। जिसको कोई डिनाई (मना) नहीं कर सकता। भारतवर्ष और राजस्थान में चुनाव फेअर नहीं हुए यह एक चर्चा का विषय बन जाता है। इस संबन्ध में मैं समझ नहीं सकता कि मैं क्या कहूं। इसलिये मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आपका ध्यान थोडा सा इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां तक लेंड लोर्डस (भू धारकों) को बात है राजप्रमुख के भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। यह ठीक है कि उसका जिक्र राजप्रमुख के भाषण में नहीं है लेकिन कोई भी अच्छा रिजोल्यूशन (संकल्प) जब आता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी कभी भी पीछे नहीं रहेगी और उसको पास कराने में अग्रसर रहेगी। जागीरदारी रिजम्पशन एक्ट राजस्थान का सबसे बडा मशला है। यदि इसको ठीक तरह से टेकल (हल) नहीं किया गया तो काम चलने वाला नहीं है। जो बातें जागीरदारियों को समाप्त करने के संबन्ध में हमारे सामने आई हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि दूसरे दल की तरफ से अच्छी सहायता मिले, यह बात नजर नहीं आती है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जहां तक फैअरनेस आफ इलेक्शन्स (निर्वाचन में उचितता) का सवाल है वह है जागीरी इलाको में हरिजनों और दूसरे लोगों को टेरेराइज (भयभीत) किया जाना और उनको इलेक्शन के वक्त आजादी से वोट नहीं देने देना। यदि आप इसकी जांच करें, इन्क्वारी करा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार उनको वोट नहीं देने दिया गया। औरत हो चाहे आदमी, चाहे ब्राह्मण हो या दूसरी कौम का उनको वोट देने का हक था: पर उन्हें वोट नहीं देने दिया गया।

श्री मानसिंह:—

माननीय अध्यक्षजी, आज डेढ दिन से, हमारे सामने श्रीमन् राजप्रमुख महोदय ने जो हाउस में अभिभाषण दिया था, उस पर भाषण हो रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि माननीय राजप्रमुख एक कॉस्टीटयूश्नल हेड (प्रशासन के प्रमुख) हैं और वे हम दोनों पार्टियों की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन दुखः के साथ कहना पडता है कि उनके भाषण में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे स्पष्ट जाहिर होता है कि यह भाषण पार्टीबाजी से ऊपर उठकर नहीं था। वह केवल गवर्नमेन्ट पार्टी (शासकीय दल) के समर्थन का भाषण है और इसलिये हमको दुख के साथ इसका विरोध करना पड़ाता है। इस भाषण के पांचवे कालम में जो यह लिखा है कि "I would now like to place before you a brief resume of the important activities and achievements of my government. This will

also help you in understanding the background of the policies which my government proposes to follow in the forthcoming year" इसके बजाय यदि यह लिखते "I would now like to place before you the scandles and bungles done by my government" (अब में आपके सामने मेरी सरकार द्वारा किये गये निन्दा के कार्य और गोलमाल की बातें रखूंगा) तो यह ज्यादा अच्छा होता।

श्री हरिदेव जोशीः--

पाइन्ट आफ आर्डर, सर, क्या माननीय सदस्य सबूत पेश करेंगे।

श्री मानसिंहः--

जो कुछ ऐसी बातें हैं उसमें लिखी गई है कि हमारी गवर्नमेन्ट ने ये ये अचीवमेन्टस (उपार्जन) किये हैं तो मुझे यह देख कर बड़ा दुख होता है और कहना पडता है कि आज तीन साल से राजस्थान की गवर्नमेन्ट कई बार बदली है और कायम हुई है। उनने क्या क्या स्कैंडल्स (निन्दा जनक कार्य) किये हैं ये सब हाउस के सामने रखे जाते तो शायद यदि दो साल तक भी हाउस बैठता तो भी पूरा खत्म नहीं होता (करतल ध्वनि) इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी भी बातें हैं जिनका यदि राजप्रमुख महोदय अपने भाषण में उल्लेख करते तो अच्छा रहता। हम इन अचीवमेन्टस का स्वागत नहीं कर सकते, बडे दुख के साथ कहना पडता है। यदि इन्हीं अचीवमेन्ट्स को लेकर हमारी मौजूदा गवर्नमेन्ट आगे बढ़ना चाहती है तो मैं निवेदन करुंगा कि यह गवर्नमेन्ट आगे कुछ भी नहीं कर सकेगी। मौजूदा गवर्नमेन्ट को अपनी हिटलरशाही नीति बदलनी पडेगी। उसे, हम १६० सदस्यों के प्रति, जिम्मेदार होना पडेगा। तीन वर्षो तक शासन करके भी वे इस बात को नहीं समझ सके हैं कि वे किसी के प्रति जिम्मेदार हैं भी या नहीं। यह बात जाहिर है कि जिस समय राजस्थान दिवस मनाने के उपलक्ष में जब हम सम्मिलित हुए थे उस समय हमारे मंत्रीगण चबूतरे पर शान से बैठे हुए थे और उनके सामने सेक्रेटरीज वगैरह बैठे हुए थे और हम हाउस के सदस्यों को नौकरों की तरह नीचे बिठाया गया था (शेम-शेम)। मैं इसमें धारासभा के सदस्यों का अपमान समझता हूं। जिस महानुभाव ने इस फंकशन (उत्सव) को ओरगेनाइज (प्रबन्ध) किया था उनको इस हाउस की मान हानि करने का नतीजा भगतना होगा। इस सम्बन्ध में मैंने शोर्ट नोटिस क्वेश्चन (अल्प-सूचना-प्रश्न) रखा है। ऐसे प्रश्न के समय मैं अपील करुंगा कि उन्हें मान हानि करने के लिये माफी मांगनी चाहिये। तीन साल से जो हिटलरशाही चल रही है वह इस हाउस में अब नहीं चलेगी। समय कम रह गया है इसलिये बहुत सी बातें मैं संक्षेप में ही निवेदन करुंगा।

पहली चीज जिसके बारे में मुझे अर्ज करना है वह है एज्युकेशन शिक्षा के सम्बन्ध में। मुझे दुख के साथ कहना पडता है कि राजस्थान में शिक्षा एक ऐसी चीज थी जो तीन वर्ष पहले पार्टीबाजी से ऊपर थी। सुशिक्षा से जनता

को किसी तरह से फायदा हो यही बात सर्वोपरि देखी जाती थी। लेकिन हमारी तीन साल की गवर्नमेन्ट ने इसे कुछ और ही चीज बना दिया। मुझे खासकर उन माननीय सदस्य से जो डीडवाना क्षेत्र से चुने जाकर यहां आये हुए हैं और जो पहले इस शिक्षा विभाग के इन्चार्ज (कार्यवाहक) थे, कुछ कहना है। इस समय स्कूलों में चलने वाली टेक्स्ट बुक्स में ऐसी चीजें हैं जिनका सिलेक्शन गवर्नमेन्ट का शिक्षा विभाग करता है। मैं अर्ज करूंगा कि शिक्षा विभाग में टेक्स्ट बुक्स में गडबडी करने वालों का इम्पीचमेन्ट होना (महाभियोग) चलाया जाना जरुरी है। इससे बढकर कोई अन्याय हो नही सकता। किताबों के मामले में बहुत बडा स्केन्डल (निन्दा–जनक कार्य) हुआ है और रिश्वतों के कारण रद्दी पुस्तकें कोर्स में रखी गई हैं। मैं निवेदन करुंगा कि यह मंत्री साहब से जब बजट पर डिस्कशन होगा तब मांगूगा। श्रीमन् राजप्रमुख ने कहा है कि शिक्षा में प्रगति हुई है, लेकिन उक्त बातों को देखते हुए हम कहेंगे कि शिक्षा गड्डे में गिर गई है। कभी ऐसा जमाना था जब कि यहां की शिक्षा में पार्टीबाजी नहीं थी। पर आज किताबों तक में रिश्वत ली जाती है। इससे बढ़कर देश में बदतर बात दूसरी क्या हो सकती है? इसका असर यह होता है कि गांवों में स्कूलों के टीचर्स (अध्यापक) खुले आम पार्टीबाजी में आते हैं और इस चुनाव के समय तो उन्होने ऐसा भद्दा प्रचार किया है जिसकी हद्द नहीं । कल या परसों माननीय मंत्री महोदय भानुपुर जावेंगे। वहां खुले आम एक मास्टर साहब जिन्होंने चुनाव में कांग्रेस का प्रचार किया है, उनका स्वागत करेंगे और ऐसी योजना पेश करेंगे जिससे उनका बड़ा फायदा हो सकें। भानुपुर जमुवा रामगढ तहसील में एक गांव है।

इसके बाद राजस्थान में लॉ एन्ड ओर्डर (कानून तथा व्यवस्था) का सवाल है। मैं अर्ज करुंगा कि राजस्थान में ला एण्ड ओर्डर (कानून व व्यवस्था) है ही नहीं। यहां तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। यह कहना कि ला एण्ड ओर्डर (कानून तथा व्यवस्था को मजबूत किया है, वास्तविकता पर पर्दा डालना है। यहां ला एण्ड ओडर (कानून तथा व्यवस्था) की क्या स्थिति है इसका पता इस बात से लग जाता है कि जयपुर में कुछ दिन पहले जो एक शान्त जुलूस जा रहा था उस पर इस मौजूदा गवर्नमेन्ट के कुछ सदस्यों ने, जो उस गवर्नमेन्ट में भी थे, उक्त शान्त जुलूस पर गोलियें चलवाई।(शेम शेम।) और जयपुर के शान्त निरपराध नागरिकों का खून बहाया। हमें दुख: इस बात का है कि उन्हीं सरकार के आदमी आज भी यहां मौजूद है। इस बारे में मैं शीघ्र ही एक एडजोर्नमेन्ट मोशन लानेवाला हूं।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में शरणार्थियों के लिये कुछ नहीं फरमाया। उन्होंने फरमाया कि यह समस्या तो आसानी से हल हो गई है। मैं उनकी गवर्नमेन्ट से, जिन्होंने कि उक्त भाषण तैयार किया है, पूछूंगा कि उन्होंने शरणार्थियों के लिये क्या किया है? सेन्टर का पैसा बरबाद करने के बावजूद भी शरणार्थियों को कोई फायदा नहीं हुआ । रिलीफ एण्ड री-हेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट को देखा जाय तो शायद दुनिया में कहीं भी ऐसी खराब चीज नहीं होगी जहां इतना भारी बंगलिंग हुआ हो। मैं बतलाना चाहता हूं कि यह

नीति आपको कभी आगे नहीं बढ़ायेगी। मैं यह बताना चाहता हूं कि कई ऐसे आदमी हैं जो सारी उम्र से मुसलिम लीगी रहे हैं पर आज कहते हैं कि हम हिन्दुस्तान के बफादार हैं।

श्री हरिदेव जोशी:—

ओन दी पाइन्ट ओफ ओर्डर, सर, क्या इस प्रकार की बात यहां कही जा सकती है?

श्री जसवन्तसिंह:—

जरूर कही जा सकती है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मन्त्री):—

इसका उत्तर अध्यक्ष महोदय देंगे या आप?

श्री जसवन्तसिंह:—

जब आपकी पार्टीवाले दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते?

उपाध्यक्ष:—

आपस में बातचीत नहीं होनी चाहिये। स्पीकर को एड्रेस करना चाहिये।

श्री मानसिंह:—

श्रीमन् मेरे समय के दो मिनिट इन्होंने ले लिये हैं इसलिये मुझे अधिक समय दिया जाय।

उपाध्यक्ष:—

अब आप एक मिनिट तक और बोलेंगे।

श्री मानसिंह:—

शर्णार्थियों की समस्या के बारे में हाउस के सामने अपने विचार बजट प्रस्तुत होने के अवसर पर रखूंगा। इसके अलावा फूड (अन्न) समस्या के बारे में इस गवर्नमेन्ट के अचीवमेन्ट्स व नीति के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि आपने इस ओर कुछ प्रगति नहीं की है। महानुभाव इस प्रक्योरमेन्ट को फौरन बन्द कर दीजिये। काश्तकारों को इससे नुकसान के सिवाय कोई फायदा नहीं है। हमने ख्याल किया था कि श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में गवर्नमेन्ट की पोलिसी इस बारे में आगे के लिये निर्धारित होगी। राजप्रमुख महोदय ऐलान करेंगे कि

अब नाज और कपड़ा सस्ता हो रहा है इसलिये इन पर से सरकार का कन्ट्रोल (नियन्त्रण) हटाया जायगा, प्रोक्योरमेन्ट नहीं किया जायगा। यह दुख: की बात है कि हमारे दोस्तों ने चूनाव के समय गांवों में जाकर कहा था कि प्रोक्योरमेन्ट नहीं होने देंगे फिर भी प्रोक्योरमेन्ट किया जा रहा है। में कहूंगा कि यह सब सही मायने में होने चाहिये। तहसीलदारों को यह नहीं कहा जाय कि उक्त गावों वालों ने हमे वोट दिये इसलिये उन्हें माफ कर दिया जाय और जिन गांव वालों ने वोट नहीं दिये, उनसे पूरा नाज लिया जाय। मैं बताना चाहता हूं कि यदि ऐसा करेंगे तो यह गवर्नमेन्ट बहुत जल्द फेल (असफल) हो जाने वाली है।

श्री कंवरलाल जेलिया:-

माननीय अध्यक्ष महोदय, एवं सदस्य गण ।

ठाकुर कानसिंह:-

आन दी पाइन्ट आफ ओर्डर सर, चेयर को एड्रेस (सम्बोधित) करना चाहिये।

उपाध्यक्ष:-

चेयर को ही एड्रेस किया जाय। सदस्यों को परटीक्युलरली (विशेषतया) एड्रेस (सम्बोधित) नहीं किया जाय।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-

में माननीय स्पीकर से निवेदन करना चाहता हू कि पार्लियामेन्ट्री पद्धित के अनुसार सिर्फ स्पीकर को ही संबोधित किया जा सकता है।

श्री कंवरलाल जेलिया:-

(अपना भाषण जारी रखते हुए) श्रीमन् राजप्रमुख ने जो अभिभाषण इस सदन में दिया है उसमें श्रीमन् राजप्रमुख ने अनुसूचित जातियों के लिए जो प्रकाश डाला है, इस सम्बन्ध में उनके कल्याण के लिए जिन जिम्मेदारियों और दायित्वों का उल्लेख किया गया: मैं मानता हूं कि जितनी इसमें शाब्दिक भाषा का प्रयोग किया गया है वह कार्य रूप में उतना नहीं हो रहा है। अनुसूचित जाति और वर्ग राजस्थान में पहले की सी पद्धति पर चला जा रहा है; आज भी राजस्थान में वही मौजूद है। जिन प्रश्नों को लेकर अन्य वर्ग उन्हें कूए से पानी नहीं भरने देता था वही परम्परा अभी तक हमारे इस प्रान्त में चल रही है। अन्य समाज को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे ही अधिकार उन्हें भी प्राप्त होने चाहिये। माननीय अध्यक्ष का ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि जिस ढंग से इसका उल्लेख हमारे राजप्रमुख के भाषण में किया गया है वह उतना अमल में नहीं आ रहा है।

इसके साथ साथ में इस ओर भी ध्यान दिलाऊंगा कि जो वर्गहीन तथा वर्णहीन समाज की स्थापना करने की बात कही गई है उस सम्बन्ध में कोई योजना हमारे सामने प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिये इस सम्बन्ध में जो कहा गया है वह सन्तोषजनक नहीं है और न इसे सन्तोषजनक कहा जा सकता है।

मैं मानता हूं कि भारत के अन्य प्रान्तों ने जो प्रगति इस सम्बन्ध में दिखाई है उसको देखते हुए हमारी प्रगति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती है। इसमें प्रगति होना आवश्यक है। यह प्रजातंत्री ढंग से चुनी हुई पहली विधान सभा है। इस समस्या की ओर हमें खास तौर से ध्यान देना है। इसके साथ साथ उनके लिए जो १२ प्रतिशत सरकारी नौकरियों में स्थान देने की घोषणा की गयी है वह व्यवहार में उतनी नहीं आ रही है; यह आना आवश्यक है।

भारत के संविधान को देखते हुए उन्हें सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज से दो वर्ष पूर्व सामाजिक अधिकार देने के लिए, जनमत जानने के लिए एक प्रकाशन निकाला था। मैं इस बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भारत में वे अधिकार १९५० में ही लागू हो जाते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया। मानवाधिकार की दृष्टि में यह अत्यंत आवश्यक है। इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके साथ साथ में खेतिहर मजदूरों की खेती के संबन्ध में कुछ कहूंगा। मजदूरों की व्याख्या करते हुए, "मजदूर" शब्द का अर्थ खेतिहर, खेती करने वाला, अधिकतर समझा जाने लगा है। खेतिहर मजदूर गंवार कहलाता है, सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनका निम्न वेतन क्या हो; उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हो—इस विषय में भी ध्यान रखना आवश्यक है।

इसके साथ साथ में, माननीय अध्यक्ष, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के २८ वें पेरे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं; जिसमें मद्य का जिक्र किया गया है। इस विवादास्पद प्रश्न पर राजस्थान की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण हमारी सरकार का अन्तिम निर्णय करना संभव नहीं हो सका है। इसलिये इसको थोड़े समय के लिए टाल दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि मद्य एक ऐसी चीज है जिसमें मजदूरों और गरीब वर्ग का पैसा बरबाद होता है; यह पैसे का अपव्यय हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष वाले इस मद्य का उपयोग करना छोड़ दें; जिसके द्वारा उन्होंने मजदूरों को, गरीब जनता को, गलत तरीके से अपनी ओर लेने की कोशिश की है। मद्य निषेध के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना जरुरी था।

मैं मानता हूं कि श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में विकास–योजना की ओर ध्यान दिया है। जैसे चम्बल बांध, भाखरा बांध, आदि आदि। इसके अलावा भी कई और योजनायें हैं। उद्योग धंधे, सामूहिक खेती आदि के लिए भी कोशिश की जाती है। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि हम

इसका विरोध करें। मैं बताना चाहता हूं कि यदि मैं सरकार को सही बातें बताता हूं तो मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूं। हमारे विचार में प्रजातंत्रीय ढंग से शासन को मार्ग पर चलाने के लिए यह आवश्यक है। जो बातें सही हैं उनकी ओर जितना वामपक्ष वालों का कर्तव्य है सरकार का ध्यान दिलाना उतना ही आवश्यक है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम सही सूचनायें सरकार को दें।

श्रीमंत् राजप्रमुख ने इस सदन में जो भाषण दिया है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना परमावश्यक है। इसलिये मैं डा० मंगलसिंह द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ यह चाहूंगा कि राजप्रमुख ने जो कष्ट किया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया जाय।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--

अध्यक्ष महोदय, डिसकशन (वाद विवाद) में जो गंभीरता होनी चाहिये थी वह नहीं रही। उसकी शुरूआत कहां से कैसे हुई यह बताने की आवश्यकता नहीं है। शायद सब लोग जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे यह चाहते हैं कि आप हमें डाइरेक्शन दें। छोटी छोटी बातों में पाइन्ट ऑफ ओर्डर्स रेज किये जाते हैं। जो छोटी बातें होती हैं अगर वो नहीं हों तो अच्छा है।

माननीय श्री नाथूराम मिरधा:--

(अपना भाषण जारी रखते हुए) हां, मैं आपके सामने जो अर्ज कर रहा था वह है व्यवस्था यानी लॉ एन्ड ऑर्डर (कानून तथा व्यवस्था) के बारे में। जिस तरह की बातें हुई उसमें से कोई कन्स्ट्रक्टिव (रचनात्मक) सुझाव हाउस के सामने नहीं रखा गया है। केवल अखबारों का रेफरेन्स दिया गया है कि राष्ट्रदूत में यह कहा गया है उसको हम चेलेन्ज करते हैं। इसमें क्या चेलेन्ज करने की बात थी। अखबारों की बातों से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। पूरे उनके सबूत होंगे तभी कोई कार्यवाही की जा सकती है। उनकी बातों से किसी पक्ष के लिए कोई विचार नहीं बनाये जा सकते हैं और न गवर्नमेन्ट कोई कदम उठा सकती है। अखबार में कई बातें होती हैं उनके बुनियाद पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। कानून के आधार पर ही सारी बातें चला करती हैं। ऐसे सुझाव सदन के सामने आने चाहियें कि आखिर इस समस्या को आगे किस तरह से सुलझाना चाहिए, यह नहीं वह हमारे किसी विरोधी पक्ष के सदस्य की तरफ से आया है। यह बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि इस हाउस में बैठकर जो बातें करते हैं, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करते हैं या इस तरह की बातें बेबुनियाद की करते हैं उनमें केवल सहयोग नाम का होता है सहयोग की भावना हरगिज नहीं होती है। इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर भी दो दिनों की बहस में यह सहयोग की भावना बिल्कुल नहीं मिली, बल्कि एक दूसरे पर छोटी छोटी बातों के ऊपर छींटाकशी की गई। यह जो बातें की गई हैं वह ठीक नहीं थीं; ऐसा मेरा ख्याल है।

श्री घीसीसिंह:—

अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम हमें उस परमपिता परमात्मा को नमस्कार करना है जिसकी महान कृपा से आज हमें यह अवसर मिला है। साथ ही हमें यह बात भी नहीं भूल जाना चाहिये कि उस महान आत्मा, महात्मा गांधीजी के नेतृत्व में हमनें विदेशी हकूमत को हटा कर इस भारत की आजादी प्राप्त की है और जनतंत्र की स्थापना की है। यह हर व्यक्ति, हर मनुष्य के लिए मानने योग्य बात होगी और इसका महान श्रेय कांग्रेस को सर्वप्रथम होगा। इसके अलावा पटेल, जिन्होंने हमारे इन सब इकाइयों में बंटे हुए राजस्थान को संगठित करके एक राजस्थान का अंग बनाया है, उनको भी हमें स्मरण रखना होगा।

हमारे श्रीमन् राजप्रमुख साहब ने जो अभिभाषण दिया है, जिसके ऊपर जो डिस्कशन (वादविवाद) कल से चल रहा है उनको धन्यवाद देने के सम्बन्ध में, बहुत से भाइयों के भाषणों से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि वे मानवता के दायरे के बाहर हैं जो कि नहीं होना चाहिए था। मैं इन्द्रनाथजी के भाषण से मंत्रमुग्ध हो गया हूं: यद्यपि उन्होंने उसको जो क्रिटिसाइज किया है वह किसी से कम नहीं किया है: लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपना एक सहृदय करता है। मैं अपने मित्र को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जो गवर्नमेन्ट (सरकार) है वह कोई बुद्धि की दुश्मन नहीं है। जो कुछ ऐसे सही सुझाव होंगे, सही कदम होंगे; वे सरकार अवश्य उठायगी।

राजप्रमुख को धन्यवाद देने के विषय में जिन बहुत से भाइयों ने ऐतराज किया है वह मजलिसी इल्म के बाहर भी है। जिनको हम अपना बड़ा मानते हैं, चाहे उनसे हमारी रंजिश हो, हमारा उनके साथ दुर्भाव हो, उनके लिए हमें अदब करना होता है। एक ऐसे अन्य अवसर के समय पर जब कि हम अपनी एक एसेम्बली (विधान सभा) का उद्घाटन कर रहे हैं, ऐसे अवसर पर ऐसे शब्द निकालना कि हम राजप्रमुख को धन्यवाद नहीं देंगे, यह कृतघ्नता है।

एक माननीय सदस्य:—

अध्यक्ष महोदय, यह कृतघ्नता आदि शब्द अनपार्लियामेन्टरी (असंसदीय) है।

माननीय अध्यक्ष:—

ऐसे "कृतघ्न" आदि शब्द जो कि अनपार्लियामेन्टरी (असंसदीय) हैं, न बोलिये।

श्री घीसीसिंह:—

(भाषण जारी रखते हुए) उद्घाटन के समय पर या और किसी समय पर जो भाषण होता है उसमें कोई इतना पूरा इतिहास, इतना पूरा विवरण नहीं होता जिससे वह एक महाभारत बन जाय। उसके लिए बहुत से भाइयों ने कहा है कि उस भाषण में यह चीज नहीं आई, यह बातें नहीं आईं। भाषण और जो कोई भी कार्य होता है वह ठीक रूप में होता है। अर्थ उसका बहुत कुछ होता है; यह समझने की बात है। यह समझदार को समझ लेना चाहिये कि छोटी बात का भी बड़ा अर्थ हो सकता है। हमारे यहां एक शास्त्रीजी आते थे; जो एक चौपाई के १०० अर्थ करते थे। हमारे राजप्रमुख के भाषण को

सूक्ष्मता से देखें तो बड़े महत्व का है और यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो इसके लिए कोई क्या करें?

(धन्यवाद, करतल ध्वनी)

माननीय अध्यक्षः—

मैं सदन का इस विषय पर विचार जानना चाहता हूं कि जैसा कि सूची के अन्दर दिया हुआ है इस वाद विवाद को आज ही समाप्त किया जाय या इसको और बढ़ाया जाय?

श्री इन्द्रनाथ मोदीः-

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हम इस विषय में हाउस (सदन) के नेता की राय जानना चाहते हैं।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:-

मेरे ख्याल से तो डिस्कशन (वाद-विवाद) बहुत काफी हो चुका है लेकिन यदि किन्हीं सज्जनों को और अपने विचार प्रकट करने की उत्कंठा हो तो मैं उसमें बाधक भी नहीं होना चाहता। मैं सरकार की ओर से परसों डिस्कशन का जवाब देने के लिए तैयार रहूंगा क्योंकि कल की छुट्टी है।

श्री जसवन्तसिंहः-

अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से भी अभी बहुत से माननीय सदस्यगण बोलने के लिए उत्सुक हैं और हमारे यहां वास्तव में यह नई चीज है इसलिये हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। उनको मौका दिया जाय कि वे अपने विचार प्रकट करें; हालां कि मैं अपने माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इस पर काफी बहस हो चुकी है।

माननीय अध्यक्षः-

तो मैं यह समझता हूं कि जो सदस्य इस पर बोलना चाहें वे आज ही बोल लें और उसके बाद उसे केवल उत्तर के लिये परसों रख दिया जाय।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशीः--

कल और आज की बहस में चुनावों की निष्पक्षता के बारे में विरोधी पक्ष ने अनर्गल आरोप सरकार पर लगाये हैं। सरकारी मंत्रियों और कर्मचारियों के लिए कहा गया है कि मंत्रियों ने अपने सत्ता का बहुत बुरी तरह से दुरुपयोग किया है और चुनाव सरकारी सत्ता के आधार पर जीते गये हैं जिसका साफ करना, जवाब देना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जिसका काम केवल विरोध करना ही हो वे कुछ भी कहें। उनके शब्दों की ज्यादा

कोई किमत तब नहीं रह जाती है जब इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि, दुनिया के और अमेरिका के महान विद्वानों ने, बड़े बड़े जर्नलिस्टों ने, जिस तरीके से हमारे यहां चुनाव हुए हैं, उस तरीके की तारीफ की है। जिस निष्पक्ष तरीके से यहां चुनाव हुए हैं, उसकी सराहना उन्होंने की है। इसके अलावा सरकार के विरोधी लोगों में से एक दल के नेता श्री श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने भी इस बात की सरकार की सराहना की है। हिन्दुस्तान में चुनाव जिस तरीके से संपादित हुए हैं वह सराहनीय है। साथ ही यह भी मुझसे कहे बिना नहीं रहा जाता कि सरकार पर जो आरोप लगाते हैं उन्होंने चुनावों में, हिन्दुस्तान में, फिर मुस्लिम लीग की नीति को दोहराया; उन्होंने अपने लेक्चरों में धर्म के नारों से गुमराह करने की कोशिश की। मजहब के नाम पर हमारे यहां कुछ भी कराया गया। मजहब के नारे को बुलन्द करके उन्होंने अपना हित साधन करने की कोशिश की। देश की जनता उनके भुलावे में आगई। जो आज देश सेवा का ढोंग............

श्री जसवन्तसिंह:

अध्यक्ष महोदय, जो देश सेवा के लिए आपने कहा है मैं कह सकता हूं कि उसका आपका अकेले का ठेका नहीं है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी –

मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं, जो कि मुझे वैधानिक अधिकार है। तो मुझे यह कहना है कि यह जो मजहब के थोथे नारे लगाये गये उन नारों को जनता ने ठुकरा दिया; सारे हिन्दुस्तान की जनता ने उन्हें ठुकरा दिया है। हिन्दुस्तान की जनता अब उनके लेक्चरों में गुमराह होने वाली नहीं है। फिर भी थोड़ी बहुत कामयाबी उन्हें मिली है वह उनके कोई प्रभाव से नहीं मिली है। साथ ही यह भी भूलने की बात नहीं है और हम सब जानते हैं कि हमारे कई निर्वाचन क्षेत्रों में तलवार, बन्दूक और संगीनों के सहारे हमारा विरोध करने वाली पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। जो लोग संगीनों के बल पर हाउस (सदन) में पहुचे हैं वह यह कैसे कह सकते हैं? आज तक ऐसी कोई अर्जी नहीं आई कि किसी कर्मचारी ने किसी राजनैतिक पार्टी में भाग लिया हो। कानून के मुताबिक वह लिखित रूप में शिकायत करके जुडिशियल प्रूफ पेश कर साबित करके उनको सजा दिला सकते थे। क्या एक भी ऐसा आदमी है जिसके खिलाफ आपने जुडिशियल प्रूफ साबित कराये हैं कि इस तरीके से सरकारी मुलाजिमों ने चुनावों में पार्ट (भाग) लिया है? क्या इस तरह से साबित कराकर सजा दिलवाई है? यह उन्होंने नहीं किया। कोरी बातें करने से कोई मतलब नहीं रहता।

इसके बाद, मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसा कि कहा गया है कि सरकार ने यह नहीं किया, सरकार ने यह नहीं किया; सारी बातें सरकार के जिम्मे डाल दी गई है। ऐसा कहते समय; माननीय सदस्य इस बात को भूल जात हैं कि

हमारी वर्तमान सरकार ने तो अभी चार्ज लिया है। कांग्रेस सरकार ने केवल २ - २।। वर्ष ही शासन किया है: लेकिन शताब्दियों से, हजारों सालों से कौन शासन कर रहा था ? इस बात को जरा याद कीजिये। राजे-- महाराजे, जागीरदार इस शासन के लिए जिम्मेवार थे। तब के लोग आज विरोधी बेन्चेज पर बैठे हुए हैं वे तब जिम्मेदार थे। इतिहास इस बात का साक्षी है। देश रसातल में ढकेल दिया गया है। उस बात को, हजारों वर्षों की बात को, वे याद नहीं रखते हैं। आज जनतन्त्र के जमाने में कांग्रेस सरकार कायम होते ही आप ऐसा कहते हैं। यह जो सरकारी कर्मचारी है वे कांग्रेसी सरकार के बनाये हुए नहीं हैं, आप लोगों की ही विरासत कांग्रेस सरकार को मिली है। कांग्रेस सरकार इन तीन सालों में उनकी बिल्कुल सफाई करके आयने की तरह नहीं रख सकती थी।

श्री लालबहादुर सक्सेना:—

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो रोज से इस हाउस में देखने में आ रहा है कि श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर धन्यवाद देने पर वाद-विवाद हो रहा है। यहां तक तो एक मत नहीं है कि धन्यवाद दिया जाना चाहिये। मगर एक दल पक्ष में है कि मौजूदा हालत में, जो अभिभाषण है, उसी सूरत में धन्यवाद अदा कर दिया जाना चाहिए। दूसरा पक्ष इसमें कुछ बातें और रखना चाहता है। यह अमेंडमेन्ट सामने रखा गया और अपनी राय········

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--

संशोधन का निर्णय हो चुका है।

माननीय अध्यक्ष:—

आपको इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो कुछ कहना हो वही कहियेगा।

श्री लालबहादुर सक्सेना:—

जी, मैं उसी पर कहूंगा।

मौजूदा सरकार को बने हुए तो अभी थोड़ा सा ही समय हुआ है। यह हमारी सरकार वास्तव में लोकप्रिय सरकार है, जनता की सरकार है। इससे हमारी पहले जो ढाई साल से सरकार काम कर रही थी, कांग्रेस की सरकार अवश्य थी पर उसमें कांग्रेस पार्टी के अलावा भी बहुत से दूसरे साहबान मौजूद थे। उनमें से विरोधी दल के नेता भी थे। चुनावों के काम को निपटाने में आप लोगों का भी हाथ था और अब आप उसकी शिकायत कर रहे हैं और यह गलत फहमी फैलाकर पिछली सरकार की जिम्मेदारी इस मौजूदा सरकार पर थोपना चाहते हैं। श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में कई बातों पर प्रकाश डाल दिया गया है। मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि मुख्य २ बातें करीब २ सभी

आ चुकी है। वैसे ये कोई सालाना रिपोर्ट तो है नहीं जिसमें कि राजप्रमुख एक एक पोइन्ट को डील करदें और सारी रिपोर्ट देते। जो जो बातें रह गई है उनके लिए राजस्थान असेम्बली के सामने मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। जो भी चीजें हैं उनका स्पष्टीकरण वे करेंगे ही। इसके अलावा राजप्रमुख के भाषण में ऐसे कोई सवाल नहीं रह गये हैं जिनका जिक्र होना आवश्यक हो। वैसे सरकार की नीति पर कोई भी निर्धारण करना होगा तो यह सरकार, जो जनता की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, इसके लिए कटिबद्ध होगी और हाउस जिस पालिसी को तय करके देगा उसे व्यवहार में उसे लाना ही पड़ेगी। चूंकि हिन्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूं इसलिये अटक गया। तो में यह अर्ज कर रहा था कि इस पर काफी वाद विवाद हो चुका है और अब इसे आगे खेंचना बिल्कुल बेकार सा है। अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो धन्यवाद का प्रस्ताव डा० मंगलसिहजी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप उनको धन्यवाद दे ही दें।

महारावल श्री सग्रामसिंह:—

माननीय अध्यक्ष, हाउस के सामने इस वक्त डाक्टर मंगलसिहजी का प्रस्ताव पेश किया हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि माननीय श्री राजप्रमुख ने जो भाषण दिया है उस पर हम धन्यवाद पेश करें। अगर वाकई सिर्फ यही बात होनी होती कि राजप्रमुख ने यहां आकर जो अभिभाषण दिया, उसका शुक्रिया अदा करें तो इसमें कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन इससे तो यह मन्शा है कि जो कुछ गवर्नमेन्ट ने इन ३ सालों में किया और आइन्दा जो उन का प्रोग्राम है उसके प्रति ऐसा करने के लिए हम सहमत हैं; तो इसमें हम असमर्थ हैं। दूसरी ओर से मेरे मित्र श्री वेदपाल त्यागी ने यह कहा कि यह बड़ा भारी राजप्रमुख के सम्मान का सवाल है।

माननीय अध्यक्ष:-

सदन में किसी का नाम नहीं लिया जाना चाहिये।

संग्रामसिंह:—

मेरे एक मित्र ने यह कहा कि हमारे सामने जो प्रस्ताव है इसमें राजप्रमुख के सम्मान का सवाल है । मेरे ख्याल से यह तो सिर्फ एक बहकाने की बात थी; सम्मान का सवाल पैदा करके यह दिखाना था कि यह विरोधी दल वाले अपमान करना चाहते हैं। सम्मान का जहां तक सवाल है मेरे ख्याल से आप से ज्यादा हमको उनके सम्मान का ख्याल है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, कि गवर्नमेन्ट की अब तक की जो पालिसी रही है और आइन्दा का जो प्रोग्राम है उससे हम सहमत हैं या नहीं, उसकी सराहना करते हैं या नहीं ? आपकी तरफ का जो पक्ष है जिसने यह प्रस्ताव रखा है वह तो इसका समर्थन करेगा ही और इसीलिए पहले से ही आपकी तरफ "हां" पक्ष और इधर की तरफ "ना"

पक्ष लिख दिया गया है। लेकिन यह सच है कि जब तक ये दो पक्ष नहीं होते तब तक सही बातें प्रकाश में नहीं आती है। आपको भी हमारी बातों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिये और सब बातों पर न्याय से विचार करना चाहिए। विरोधी दल जब पूर्ण मजबूत नहीं होता तब तक तो आप तक न हमारी बात पहुंचाई ही जा सकती है और न रोक पैदा हो सकती है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके अच्छे रास्तों में कभी रोक नहीं लगाएंगें। लेकिन जब देखेंगे कि आपके रास्ते ठीक नहीं है, जनता के फायदे के लिए नहीं है तो हम उसका विरोध जरुर करेंगे। यह विरोधी पक्ष, हर जगह, हर देश में होता है, हरएक पार्लियामेन्ट में होता है; आप इगलैन्ड को लीजिए, चाहे किसी भी जगह को ले लीजिए। अब में अभिभाषण में जो खास २ बातें हैं उनका जिक्र करुंगा, क्योंकि स्पीकर साहब ने ८-१० मिनिट का समय ही हरेक सदस्य को दिया है।

अव्वल सवाल तो चुनावों का है। राजप्रमुख साहब ने फरमाया कि चुनाव बहुत ही निष्पक्षता के साथ हुए। मेरे ख्याल से चुनाव बिल्कुल निष्पक्षता से नहीं हुए, जैसे कि होने चाहिए थे। गवर्नमेन्ट मशीनरी को काम में नहीं लेना चाहिए था; पर उसे तरह २ से काम में लिया गया। यहां तक कि [टीचर्स से, पटवारियों से भी काम लिया गया। पटवारियों से पर्चे बंटवाए गए, यह सब कहां तक ठीक है;आप ही बतला दीजिये।

पुलिस के दस्ते हमेशा साथ साथ रहते थे, उनकी क्या जरुरत थी कि पुलिस के दस्ते साथ रहें। जो जागीरदारी एबोलिशन एक्ट है, यह चुनाव के शुरू होने से पहले जारी करने और उस वक्त तक कि जब तक हमारे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस बिल पर नहीं हुए थे जारी करने की क्या जरुरत थी। यह सब इसलिये किया गया कि जनता पर इसका असर पड़े, पर आपके दुर्भाग्य से और हमारे सौभाग्य से उसका असर नहीं पड़ा। और आज आप खुद देखते हैं कि आपके सामने हम लोग यहां कितने मौजूद हैं जिनको आप चाहते थे कि वे न आवें। अभी एक मित्र ने कहा कि यह तो हमारी बड़ी भारी कृपा है कि हमने आपको आने का मौका दिया। मैं यह कहूंगा कि यह आपकी कृपा नहीं यह जनता की कृपा है। आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं और हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं। आप किसी विशेष जनता की तरफ से नहीं हैं। यहां हम जागीरदार की हैसियत से नहीं, यहां पर जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से आये हैं। यदि आपके वोटों के नम्बर से तुलना की जावे कि किसको अधिक वोट मिले हैं तो आपको मालूम होगा कि कितने वोट हमको और कितने वोट कांग्रेस को मिले। मुझे और भी कई बातें कहनी है। एकीकरण कोर्ट्स का किया गया? मैं पहली बात यह पूछना चाहता हूं कि इससे क्या फायदा हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि जल्दी फैसले नहीं हो सकते। गरीब जनता का कितना समय खर्च होता है कितना समय वर्बाद होता है। जिस जनता को न्याय एकीकरण से सस्ता मिलना चाहिये था वह उल्टा महंगा हो गया है।

मुकद्दमों का नम्बर सब जगह इतना बढ गया है कि लोगों से मुकद्दमों का नम्बर तक नहीं आता। इन्टीग्रेशन आफ सर्विसेज में भी सरकार ने कहा है कि बहुत कुछ किया गया है। इस संबन्ध में मैं यह कहूंगा कि इस में पक्षपात नहीं होना चाहिए था। उनके एकीकरण में कितना पक्षपात किया गया है सर्विस वाले भली प्रकार जान सकते हैं। आप आज सर्विसेज की हालत को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उन लोगों का मोरल (नैतिकता) कितना गिर गया है। इसका कारण यह है कि उनको इस बात की तसल्ली नहीं है कि जब तक वह निष्पक्षता से काम करेंगे, अच्छी तरह से और इमानदारी से काम करेंगे उनके साथ कोई बेजा बात का भय नहीं होगा। मैं जानता हूं कि पार्टी गवर्नमेन्ट रही है मगर सर्विसेज हमेशा एक रही हैं। पार्टी गवर्नमेन्ट वदलती रहती है। हम राजस्थान में देखते हैं कि इन पिछले तीन सालों में तीन दफे गवर्नमेन्ट बदल गई है लेकिन सर्विसेज की स्टेबिलीटी होनी चाहिये ।

अब मैं अन्न की समस्या के बारे में कहूंगा। राजप्रमुख के भाषण में कहा गया है कि इन तीन सालों में वहुत कुछ हुआ। लेकिन मैं यह कहूंगा कि तीन साल में कुछ नहीं हुआ । क्या हो सकता है? चीज बाजार में नजर आती है और कन्ट्रोल होने से बाजार से गायब हो जाती है और चोर बाजार में चली जाती है।

अब रही जागीर एबोलीशन के मुतल्लिक बात। सबसे पहले यह कहा जाता है कि जागीरदारों को सहयोग करना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा त्याग किया है; इस बात को हम सब जानते हैं और आप खुद भी जानते हैं। हमारे एक पूर्वज राणा प्रताप हुए हैं जिन्होंने देश के लिये सब कुछ वलिदान किया था। हमको यह बतलाया जाना चाहिये कि जागीरदारी एबोलिशन से आया देश का भला होगा या सिर्फ आपका भला होगा? अगर हमको यह बता दिया जावे कि इससे किसानों का भला होगा तो हम लोग क्यों नहीं त्याग करेंगे। लेकिन हम लोग दूसरों के फायदे के लिये त्याग करने के लिये तैयार नहीं है। किसानों के लिये जरूर मैं यह कहूंगा कि क्या हम किसानों को पसन्द नहीं करते? क्या वे किसान हमारे प्यारे नहीं है? किसान हमारे प्यारे हैं और हमारे प्यारे रहेंगे। एक मित्र ने कहा कि राजाओं को प्रिवी पर्स बडे पैमाने पर दिया गया यह कांग्रेस की उदारता थी। एक तरफ तो यह कहा जाता है और दूसरी तरफ स्वर्गीय महाराजा जोधपुर को यह दहशत दी गयी थी कि हम प्रिवी पर्स बन्द कर देंगे। यह सब इसलिये कि वे डर कर चुनाव के लिये खड़े न हों। आप चाहते हैं कि हमारा सहयोग आपको हो। हम अपना सहयोग देने के लिये तैयार है; मगर सहयोग का भी कोई तरीका होता है। खाली यह कहना कि हम आपको खत्म करना चाहते हैं और इसलिये आपका सहयोग चाहते हैं, यह तो ठीक नहीं। इस सम्वन्ध में हमसे कुछ बात चीत की जावे तो हम सहयोग देने के लिये तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष:-

आप पांच मिनिट तक बोलें।

श्री किशनलाल शाहः--

अध्यक्ष महोदय, समय के लिए जो कुछ आज्ञा हुई है उसे ध्यान में रखते हुए मैं निश्चित समय में, जो कुछ भी मेरा मन्तव्य है, सदन के सामने पेश करूंगा अंग्रेजों के समय से लेकर पक्ष व प्रतिपक्षियों की तरफ से जो बहस के दौरान में दलीलें की गई है कि प्रतिपक्षियों के विरोध के द्वारा इस राजस्थान में गत हजार वर्षों से उनके शासन का जोर रहा वह सब के सब इस राजस्थान में जमीन के ठेकेदार, पूंजी के ठेकेदार और जाति के ठेकेदार थे। ये तीन ठेकेदारियों पूर्ण रूप से पनपीं। इसका लोहा लेने के लिये और जनता के सर्वांगीण विकास के लिए प्रान्त को सुखी और समृद्धशाली बनाने के लिए, इन तीनों ठेकेदारियों को खतम करने के लिये, जिस पार्टी ने अपना कदम मजबूती से आगे बढ़ाया और उस पार्टी के मार्ग में लोगों ने किस किस तरह के रोड़े अटकाये वहीं आज जनता की राह में, बातें बकने वाले, महलों से नीचे नहीं उतरने वाले, अंग्रेजों और प्रतिगामी विरोधियों का लोहा और जनता की ठेकेदारी का प्रतिनिधित्व करने वाले, महल में बातें करते हुए, और जिनके साथी अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर आने वाले जब, आज, अध्यक्ष महोदय की टोपी की ओर भी संकेत करते हुए, इस भारतीय संस्कृति के प्राण, भारतीयता के सच्चे दर्शक, जो इसके खुद के पीछे छुपा है इसको भी न देखने वाले, जो आज कांग्रेस के मुंह पर प्रतिक्रियावादी होने का, साम्प्रदायिक होने का और कांग्रेस से कुछ नहीं होने का आरोप लगाते हैं, मैं नहीं समझता कि उनका कहना ठीक हो सकता है। मैं यह निश्चित तौर पर और हिम्मत के साथ कहने को तैयार हूं कि जहां तक जमीन की ठेकेदारी का सवाल है उसमें एक जाति का बहुमत है। उनकी संख्या अधिक है और उस बहुसंख्यक जाति का उस पर अधिकार है। इस राजस्थान के राजपूतों ने भूमि सुधार में जल्दी करने के लिए कमाई को पूरा करने के लिए, जिस तरह से यहां वाद विवाद किये है, सब जानते है; यह सब को विदित है। मै तीनों तरह के ठेकेदारों से इस सदन के सामने, अध्यक्ष महोदय, नम्रतापूर्वक यह कहता हूं कि अब ये बातें समय के साथ चलनेवाली नहीं है। वे खुद अपने आप को समय के अनुकूल बदलें। गांधी टोपी और खादी पहनने वालों पर आक्षेप लगाने वाले पहले खुद खादी के दर्शन करें। सूटबूट ओर नेकटाई लगानेवाले इन्हे छोड़ कर पहले खादी को अपना कर देखें।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः--

On the point of order. I submit, sir, that the Hon'ble Member is not speaking to the point. Any reference to Khadi is absolutely out of place. Discussion should relate to this motion. I suppose there is no necessity of bringing out Rajputs in connection with this debate.

श्री किशनलाल शाहः--

विपक्षियों की तरफ से तरह तरह के आक्षेप हम पर लगाये गये हैं और उन आरोपों के उत्तर में, जब कि एक पार्टी की तरफ से कहा गया है, तो मैं समझता

हूं कि मैं एक कांग्रेस मेन के नाते उन आरोपों का उत्तर दूं । इस प्रकार उत्तर देना अनपार्लियामेंटरी नहीं कहा जा सकता । मुझे अधिकार है कि एक कांग्रेसी होने के नाते उन आरोपों का उत्तर दूं और अध्यक्ष महोदय, यदि वे इस युग में भी सम्प्रदायवाद को पनपाने के नारे को बुलन्द करना चाहते हैं और फिर सत्य भुलाने के नारे लगाते हैं तो मैं अर्ज करूंगा कि उन्हें समय के अनुसार चलना चाहिये । हम एक रचनात्मक कार्य को लेकर सामने आये हैं । फिर भी वे इसे रचनात्मक नही बताकर खंडात्मक बताते है ।

माननीय अध्यक्ष:--

आप प्रस्तुत विषय पर बोले ।

श्री किशनलाल शाह:--

इस आजकल के शासन को विरोधियों का मानकर प्रतिपक्षी दल हमारी सरकार और कांग्रेस पार्टी पर लांछन लगाता है । मैं समझता हूं उनके लांछन के उत्तर में मैं ने जो कुछ कहा है आउट आफ पाइन्ट नहीं है: इसलिए मै अर्ज करूंगा कि जितने वाद विवाद हुए है, वे थोथे हैं । विरोधी पक्ष वालों ने हमारी गवर्नमेंट में कभी विश्वास नही किया । विपक्षियों का कोई भी सदस्य यह नहीं कह सकता कि उसने कभी भी कांग्रेस में विश्वास किया हो । वे कांग्रेस द्वारा किये गये कार्यों में शंका करते हैं । इसके साथ साथ मैं यह भी कह दूं कि हमने एक बार नहीं अनेक बार हमने उनके साथ सहयोग व विश्वास का हाथ बढाया था लेकिन उन लोंगों ने सहयोग नहीं दिया । अब मेरे बोलने के लिए जो कुछ समय रहा है उसमें यदि यह कह दूं कि जो आरोप हम पर लगाये गये हैं विरोधी पार्टी के नेता व उपनेता द्वारा, वे उन्हों की पार्टी के लोगों के लिए ज्यादा मौजू है:–...........

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस की जानकारी के लिए आपके समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के नेता और उपनेता ने जो भाषण दिये हैं वे आरोप लगाने की नीयत से नही थे और न यह हमारी ऐसी नीयत ही है । लेकिन हमारा कर्त्तव्य है कि सरकार के प्रोग्राम में जो बातें हुई है या होने वाली है उनपर अपना मन्तव्य आपके सामने प्रस्तुत करें । यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते है तो फिर हमारे यहां आने और बैठने का कोई नतीजा नही निकलता । इस लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो सिलसिला भाषण का जारी है उसे कृपापूर्वक बन्द किया जाय । इसमें कोई काम की बात दिखाई नही देती। मेरा निवेदन है कि हमें काम की बातें करनी चाहिए ।

श्री किशनलाल शाह: -

हमें.......

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–

जब तक एक मेम्बर बोलने के लिए खड़ा हुआ है तब तक हाउस के कायदे से दूसरे को खड़ा नही होना चाहिये । मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो वाद विवाद चल पड़ा हैं वह स्वस्थ सिलसिला हाउस के लिए नही है । मैं चाहता हूं महरबानी करके आप, हम सब, इस बात को समझें और काम की बातें करनें के लिए समय लें तो बेहतर होगा; नही तो काम की बातें नही हो सकेंगी । मेरा विश्वास है कि हाउस के नेता भी मेरी इस बात से सहमत होगें ।

मा० श्री टीकाराम पालीवाल:–

अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं ने भी इच्छा प्रकट की थी कि डिस्कशन्स (वाद विवाद) दूसरे रूप में चल रहें हैं । मैं कतई सहमत हूं कि काम की बातें ही कही जानी चाहिये। मैं इस बात का स्वागत करता हूं । यहां कुछ बातों का सिलसिला और तरह से शुरू हो गया था जिसको बाद में भी जारी रखा गया। मैं चाहता हूं कि यह चीज अब भी समाप्त कर दी जाय ताकि सीमित ढंग से, अच्छी तरह से कार्य चल सके ।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री):—

अध्यक्ष महोदय, कल से श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के उपलक्ष में धन्यवाद पर बहस हुई । मैं बारबार सोच रहा था कि हमारी दृष्टि इस अभिभाषण के ऊपर केन्द्रित रहती है या छोटी मोटी बातों में। हम भूलते या भटकते रह जाते हैं। विरोधी पक्ष के माननीय नेता की तरफ से जो स्वागत किया गया है और उन्होंने जब यह कहा कि श्रीमन् राजप्रमुख का भाषण, हाउस आफ लार्ड्स में जिस तरह इंगलैन्ड के बादशाह का भाषण सुनते हैं, उसी तरह से, उन्होंने भी सुना। तो मुझे ख्याल हुआ कि आज भारत में भी जिस तरह का सिलसिला जारी किया गया है उसी तरह की बातें मिलेगी। लेकिन जहां एक तरफ राजप्रमुख के आने के बारे में यह बात कही गई वहां उन्होंने यह भी कहा कि राजा महाराजाओं के हाथ से सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ गई है और कांग्रेस अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर रही है। जब यह बात कही गई तो मुझे ख्याल हुआ कि ये बातें शायद विरोध के लिए कही गई है।

दूसरी तरफ जब उन्होंने यह कहा कि जागीरी प्रथा हम समाप्त करना चाहते हैं; आर्थिक कारण हो तब तो हमारा सहयोग आपको रहेगा और यदि राजनीतिक कारण से इसको समाप्त करने का प्रश्न है तो हमें इनका सहयोग प्राप्त नहीं हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय; मैं समझने में असमर्थ हूं कि जब आज के युग में जहां इकोनोमी (मितव्ययता) के सवालों के साथ साथ पोलिटिक्स (राजनीति) भी मिली हुई है तो हरएक प्रश्न का सोशियल इकोनोमी (सामाजिक मितव्ययता) और पोलिटिक्स (राजनीति) का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध रहता ही है । इसलिये यदि दर असल में जागीरी प्रथा समाप्त करने में सहयोग देना चाहते हैं वे दें । राजनीतिक बात को कहकर, इस बात में दूसरी

तरफ मना करने की बात छिपी हुई प्रतीत होती है। अगर उनका लक्ष्य यह हो कि जागीरी प्रथा समाप्त होने से, जो राजनीतिक असर है, वह नहीं रहेगा और इस कारण से सहयोग नहीं देने की बात कहते हैं तो मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इसकी पूर्ति वे कैसे कर सकते हैं। यह निश्चित बात है जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने विरोधी पक्ष की तरफ से कहा कि जहां जनता के हित का सवाल आयगा उसके अन्दर हम सहयोग देने को तैयर रहेंगे । मैं समझता हूं, यह एक मामूली सवाल है जिसके बारे में दो राय नहीं हो सकती। वह ह जागीरी प्रथा और सामन्ती प्रथा का । हमारे राजस्थान के अन्दर जागीरें जीवित होने के कारण हम जिधर निगाह डालते हैं, तो हमारा राजस्थान हर बात में दूसरे प्रान्तों से पिछड़ा हुआ नजर आता है। जिस राजस्थान को हम विकसित करना चाहते हैं और इसकी उन्नति के हित के लिये यदि हम एक मत हो तो मैं आपसे कहूंगा कि जिस जागीरी प्रथा के कारण हमारा प्रान्त पिछड़ा हुआ है भविष्य में ऐसा नहीं रहेगा। किन्तु हम एक मत तो हों । हमारा प्रान्त सदियों से सामन्ती प्रथा से दबा हुआ है। सामन्ती रूढ़ियों के असर से प्रभावित राजस्थान को आगे बढाने के प्रश्न से हम सब सहमत हैं। यदि हम चाहते हैं कि जनता के हित को इसका आधार मानकर चलें तो हमें इस अच्छे काम में सहयोग देना आवश्यक है। राजस्थान के अन्दर विरोधी पक्ष है और राजपक्ष भी है। दोनों मिलकर इस बात का निर्णय करें कि जहां पर जन हित का प्रश्न हो हम एक साथ मिलकर कार्य करें। यह प्रश्न बहुत स्पष्ट है। इसके बारे में दो राय नहीं हो सकती कि सामन्ती प्रथा और प्रगति की बातें दोनों चीजें एक साथ मेल नहीं खा सकतीं। मैं समझता हूं कि इसके अन्दर किसी तरह की राजनैतिक बात को रखकर या जोड़ कर इसका काट न करें तो यह राजसेवा का काम होगा क्योंकि इसमें जनता की प्रगति निहित है।

विरोधी पक्ष की ओर से यह कहा जाता रहा है कि हम आपसी बात-चीत को यहां न लायें । मुझे कल आश्चर्य हुआ कि जो भी आपसी बातें होती हैं वह यहां नहीं होनी चाहियें। कल के भाषण में विरोधी पक्ष के नेता ने व्यासजी की बातचीत राजप्रमुख के अभिभाषण के सिलसिले में दुहराई थी । मैं समझता हूं कि उनके इस बात के दोहराने का राजप्रमुख के अभिभाषण से कोई संबन्ध नहीं था; न मालूम उनका क्या लक्ष्य था। इस बात को यहां सदन के सामने दोहराने का क्या मतलब था । इसी तरह आप क्षमा करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आज की बैठक की शुरूआत में ही विरोधी पक्ष के नेता ने जोधपुर महाराजा का जिक्र करते हुए यह कहा था कि उन्हें विरोधी पक्ष पांच साल तक याद रखेगा। उनके शब्दों को यदि आप टटोलेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी; जो इस सदन में नहीं आनी चाहिये थीं जो हमें लक्ष्य करके कही गयी थी। अध्यक्ष महोदय, कल विरोधी पक्ष की तरफ से यह बात कही गयी थी कि राजस्थान के अन्दर जल्दी से जल्दी सरवे और सेटलमेन्ट होना चाहिये। इस बारे में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसके बारे में मैं कोई निश्चित अवधि तो बताने की स्थिति में नहीं हूं फिर भी यह काम अरसें में खत्म कर लिया जायगा। लेकिन इतना तो मैं अवश्य कह सकता हूं कि हम जल्दी से जल्दी सेटलमेन्ट का काम पूरा करेंगे। राजस्थान के अन्दर जहां जहां इस

बारे में कार्यवाहियें हो चुकी है उन्हें हम दृढता से पूरी करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि जनता की इस हित की बात की ओर हमारे विरोधी पक्ष ने संकेत किया। उसके बाद विरोधियों के पक्ष के भाषण में जिन बातों की प्रमुखता रही, जिसे विरोधी दल के नेता ने शुरूआत में ही वेस्टेड इन्टरेस्ट (निहित स्वार्थ) कहा था। उनका इशारा वितरण कमेटियों की ओर था। उन्होंने कहा कि इसमें काम करने वाले लखपति करोड़पति हो गये। वे मुझे क्षमा करेंगे, यदि उन्होंने वितरण कमेटियों के नियमों को पढा होता तो उनको वास्तविकता मालूम होती। वितरण कमेटीयों के सदस्यों को परमिट और लाइसेन्स आदि देने का अधिकार नहीं है। उनको सिर्फ उन पर निगाह रखने का अधिकार है। उन्हें, वे लखपति करोड़पति कह सकते हैं। ऐसी बातें कह कर शुरू में ही आज विरोधी पक्ष ने ऐसे बीज बखेरे हैं जिनसे सदन का वातावरण ऐसा हो गया।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि पिछले तीन सालों में राजस्थान में कुछ नहीं किया गया और अभिभाषण में ऐसी कोई बात नहीं जिसके बारे में हम उस भाषण की प्रशंसा करें और उसका समर्थन करें। मुझे इस बात में आश्चर्य होता है कि इस संबन्ध में आपको हर चीज को देखना होगा; दुनिया के वातावरण को, भारतवर्ष की स्थिति को। मैं समझता हू कि पिछले दो तीन साल हमारे लिये, न केवल भारत के लिये किन्तु सारे संसार के लिए, ऐसे गुजरे हैं जिनमें एक विशेषता ह। इन वर्षों के अन्दर हमें एकीकरण के साथ साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ हमारा यहां प्रकृति का विशेष प्रकोप रहा। इन सारी बातों को हम सामने रख कर चलेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हमने जो जो बड़ी योजनायें हाथ में ली हैं जैसे, भाखरा बान्ध, चम्बल बांध। जिन्हें इस बारे में जानकारी है जिनके लिए हर तरह की बातें हम कर रहे हैं; इन बातों को आप समझें भले ही, आपका इन चीजों के लिए समर्थन नहीं। इसके अलावा आप देखते हैं कि राजस्थान में सामाजिक संगठन बदल रहा है। इसका नया रूप राजस्थान में आ रहा है। शोषित और पीड़ित वर्ग है जिसे आज तक हमारे समाज ने हर तरह से दबाया। आज उन्हें राजस्थान में हर तरफ आगे बढने का मौका मिल रहा है। आज तक जिनको हमारे समाज ने दलित समझा, आज उस वर्ग के लिये राजस्थान में सब दरवाजे खुले हैं, जिसके जरिये वे आगे बढ सकते हैं और आगे बढ़ कर समाज के अन्दर, राजस्थान के अन्दर ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। समाज में, उनकी ख्याति होगी: उनका आदर होगा। क्या सब कुछ नहीं किया गया? हम देखते हैं कि हमारी दिक्कतें अन्य प्रान्तों की अपेक्षा बहुत ज्यादा हैं। आज संसार विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आज हर समाज और देश रिवोल्यूशन (क्रांति) की ओर बढ़ रहा है तो हमें भी राजस्थान को उस ओर ले जाना है। इस ध्येय से हम काम करेंगे तो हमारा राजस्थान गौरवपूर्ण पद प्राप्त कर सकेगा।

कल शेरगढ़ के एक भाई ने कहा था कि हमारे गांव के लिए सिर्फ तीस हजार रुपये खर्च किये जा रहे हैं। उन सज्जन से मैं निवेदन करूंगा कि आपके गांव से लेकर फलोदी तक के लिए ३ लाख रुपये फेमिन (अकाल) के लिए

मन्जूर किये गये हैं। साथ ही विरोधी पक्ष के उपनेता ने फेमिन (अकाल) के बारे में जानकारी चाही है। मैं पूरी जानकारी जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। इस समय इतना ही बतला देना चाहता हूं कि फेमिन रिलीफ (अकाल सहायता) पर १ क्रोड़, २८ लाख रुपया १९५१–५२ व ५२–५३ के लिए खर्च होने वाले हैं।

इसके साथ साथ हम विरोधी पक्ष से हमेशा यही आशा रखते हैं कि वे ठोस सुझाव की बातें कहें तो हम उनके सुझावों का सदैव स्वागत करेंगे। विरोधी पक्ष का मतलब यह नहीं है कि सरकारी पक्ष की हर बात का काट करे बल्कि उसका काम है सरकार को सही मार्ग पर ले जाना । यह कहना कि विरोधी पक्ष की किसी भी बात की सुनवाई नहीं होती, गलत है।

चुनावों के सिलसिले में यह कहा गया है कि चुनावों में सरकारी अधिकारियों ने निष्पक्षता से कार्य नहीं किया। इस सिलसिले में अधिक बहस में न पड़ा जाय और यदि यह सबूत दे दिया जाय कि विरोधी पक्ष जो इतनी तादाद में यहां उपस्थित है, वह यहां नहीं होता । यह उनकी निष्पक्षता थी कि इतनी बड़ी तादाद में विरोधी पक्ष यहां पहुंचा हैं। यदि निष्पक्षता नहीं थी तो दूसरा कौनसा कारण था जिसकी वजह से, या किसी दूसरे जरिये से, जैसा कि कहा जाता है, जनता की सेवा करके, जनता का विश्वास प्राप्त कर, वे यहां पहुंचे हैं। साथ ही साथ इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है और बहुत से मानते है कि अधिकारियों ने निष्पक्षता से काम किया। अगर यह सही नहीं होता तो नक्शा दूसरा ही होता। (करतल ध्वनि) चुनाव, आपको मालूम है कि, राजस्थान की जैसी स्थिति है, मैं जिस डिविजन के अन्दर रहता हूं वहां पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो कहीं रेगिस्तान है, उस स्थिति में और उसी वजह से राजस्थान जैसी जगह से, समय पर, मैं तो नहीं समझता था कि वह समय पूरा हो जायेगा, पूरा हो गया। जो बातें इस बारे में कही गई है उन बातों से यह ख्याल होता है कि केवल विरोध के लिए ही बातें कही जाती हैं। ऐसी स्थिति तो नहीं है।

पिछली मिनिस्ट्री के बारे में जो बातें कही गई हैं, उनमें खाद्यान्न के बारे में भी, बहुत सी चर्चाएं हुई: यहां की गई हैं। उस सिलसिले में, केवल इतना ही कहूं तो गलत नहीं होगा। राजस्थान में आज अकाल के होते हुए भी, यदि आप अन्य प्रान्तों पर निगाह डालें जिन प्रान्तों को कमी वाला करार दिया गया है, तो मैं आपसे, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सदन को कहने में संकोच नहीं करूंगा कि जो भाव राजस्थान के अन्दर, इतनी कमी वाला प्रान्त होते हुए भी, हैं, वह अन्य कमी वाले प्रान्तों में आप नहीं पायेंगे। आज जो आपको सुलभता के साथ अन्न प्राप्त हो रहा है, आज खुले बाजार में जिस भाव में अन्न प्राप्त होता है वह भारतवर्ष में कहीं भी नहीं प्राप्त होता है। हमने राजस्थान में ही इसको परीक्षण के तौर पर चला रखा है। आज जिस सरलता क साथ अनाज मिलता रहा है और जैसी सुगमता इसमें रही उसको देखते हुए भारतवर्ष में अन्य जगहों में भी इस तरफ कदम बढाया जा रहा है।

राजस्थान में यह परीक्षण किया गया, वह सफल रहा।

दूसरा, पिछले दो वर्षों के अन्दर, मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि करीब १ लाख एकड़ जमीन नई सिंचाई के अन्दर लाई गई है। अगर आप से तारीफ के लायक समझें तो अच्छी बात है।

विरोधी पक्ष की तरफ से और भी कई बातें कही गई हैं। किसी ने कहा कि चित्रकला और सांस्कृतिक चर्चा का इसके अन्दर जिक्र नहीं किया गया। अभिभाषण तो एक पालिसी स्टेटमेन्ट (निवरण) होता है। उसके अन्दर चित्रकला और दूसरी सारी बातें नहीं आ सकती हैं।

एक माननीय सदस्यः—

पाइन्ट आफ ऑर्डर, सर, आपको और कितना समय दिया जायगा।

माननीय अध्यक्षः—

पांच मिनट और बोल लीजिये।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः—

(अपना भाषण जारी रखते हुए) कई चित्रकला की चर्चा करते हैं, कोई दूसरी चर्चाएं करते हैं। नये पट्टे लेने के वक्त कुछ ही किसानों को, यदि व शुरू से खातेदार न हों, तो खातेदारी के अधिकार प्राप्त करने के लिए, मैं माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वह केवल उन व्यक्तियों से ही लिया जाता है जिनको कि हिरेडीटरी राइट्स (वंशागत अधिकार) प्राप्त नहीं है। बाकी के दूसरों के लिए यह सवाल ही नहीं आता है। वह भी उनको अब तक देना पड़ता था, उससे अधिक नहीं है। उन्हें अब तक इससे कई गुना ज्यादा देना पड़ता था। पहले से अब तक जितनी प्रगति हुई है, मैं समझता हूं कि आज भी आपने देखा है अभिभाषण में, उससे आपको हमारा लक्ष्य मालूम हुआ होगा। वह लक्ष्य जनता के हित में सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सामने रखते हुए, राजस्थान का नया विकास करने के लिये और आगे बढ़ने के लिये है। यह उसका मूल उद्देश्य है और यही आप सब सदस्यों को प्रतीत होता है। उस दृष्टिकोण से हम देखें तो हमें मालूम होगा कि उसके अन्दर प्रगति की तरफ जाने का निश्चित संकेत है और जो कार्यक्रम है उसके अनुसार दबे हुए वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर है। मैं समझता हूं कि यदि सदन उस दृष्टिकोण से अभिभाषण पर विचार करेगा तो सदन ही उसके समर्थन के लिए विचार करेगा। यह भाषण समय के उपयुक्त है, इतना ही कह कर मैं इजाजत लेता हूं।

माननीय अध्यक्षः—

बहुत से नाम अभी बोलने के लिए शेष हैं और मैं समझता हूं कि बहुत से सदस्यों को उत्कंठा होगी; इस बात के लिए कि वे बोलें। अच्छा हो कि

वे अपनी उत्कंठा बजट (आय-व्ययक) पर निकाल लें: क्योंकि ४ रोज तक उनको बोलने का अवसर मिलेगा। यह जो समय था कलेन्डर (पत्री) के अनुसार, उसमें आज हमें यह समाप्त कर देना चाहिए था। किन्तु व्यक्तियों की अधिकता के कारण वह समाप्त नहीं हो सका। इसलिये में चाहता हूं कि नेता उसका उत्तर दें। इस बीच में माननीय श्री रामकिशोर व्यास, राजस्थान सार्वजनिक अभियाचन प्रत्यादान अधिनियम, १९५२, को संशोधित करने के विधेयक के पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री जसवन्तसिंहः—

आज की बहस आगे नहीं होगी?

माननीय अध्यक्षः— जी।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः-

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन आपके सामने पेश करना चाहता हूं और वह यह है कि हम सब लोग इस बात के इच्छुक हैं कि हम यहां पर जो भी वाद विवाद करें, जो पत्र व्यवहार करें; वह हिन्दी में हो। लेकिन इसमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस हिन्दी को समझने में मजबूर हैं जो कि उन कागजों में लिखी हुई है जो कागज कि हमारे सामने आये हैं। अतः आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि इस सम्बन्ध में कुछ सरलता से काम लिया जाय; ताकि हम अपने लक्ष्य पर सुगमता से पहुंच सकें। मैं हिन्दी से बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं हूं लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो शब्द आप बोलें उसमें से मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि हमारी एसेम्बली में जो कामकाज में आने वाले शब्द हों वे सरल हों। जो उसमें काम करने वाले हैं उनकी विद्वत्ता से मैं प्रेजुडिस्ड नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे उन शब्दों का इस्तेमाल करें जो आसानी से समझ में आ सकें, इससे मेरा कोई बुरा मतलब नहीं है। इस बात में, मैं आशा करता हूं कि आप हमारी मुश्किल को हल करने की कृपा करेंगे।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः---(मुख्य मन्त्री)

आप सही हैं। भाषा जहां तक हो सरल हो: ठीक है। लेकिन जो टेकनिकल शब्द होते हैं उनका प्रयोग करना ही पड़ता है। इस सदन में आपको बहुत सी बातें सीखने और सिखाने के लिये तैयार रहना चाहिए।

राजस्थान सार्वजनिक अभियाचन प्रत्यादान (संशोधन) विधेयक, १९५२ तथा राजस्थान वन विधेयक, १९५२

माननीय श्री रामकिशोर व्यासः--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पब्लिक डिमान्ड्ज़ रिकवरी बिल, १९५२, यानी

सार्वजनिक अभियाचन प्रत्यादान अधिनियम, १९५२, को संशोधित करने के, विधयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्षः-

अब माननीय श्री अमृतलाल यादव वनों से सम्बन्धित विधि, वन उत्पत्ति के संक्रमण (ट्रान्जिट) तथा निमार्ण काष्ठ (टिम्बर) एवं अन्य वन उत्पत्ति पर समाहरित (लेवियेब्ल) शुल्क के संघनन (कन्सोलिडेट) करने के विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

माननीय श्री अमृतलाल यादवः--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में राजस्थान फारेस्ट बिल यानी वनों से संबंधित विधि, वन उत्पत्ति के संक्रमण (ट्रान्जिट) तथा निर्माण काष्ठ (टिम्बर) एवं अन्य वन उत्पत्ति पर समाहरित (लेवियेब्ल) शुल्क के संघनन (कन्सोलिडट) करने के विधयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्षः--

प्रश्न यह है कि इन विधेयकों को पुरः स्थापित करने की आज्ञा दी जाय ।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुए)

माननीय श्री रामकिशोर व्यासः--

अध्यक्ष महोदय, अब मैं राजस्थान पब्लिक डिमान्डस् रिकवरी एमेंडमेन्ट बिल १९५२ यानी राजस्थान सार्वजनिक अभियाचन प्रत्यादान (संशोधन) विधेयक, १९५२, सदन में पुरःस्थापित करता हूं ।

माननीय श्री अमृतलाल यादवः--

अध्यक्ष महोदय, अब मैं राजस्थान फोरेस्ट बिल यानि राजस्थान वन विधेयक, १९५२, सदन के सामने पुरःस्थापित करता हूं ।

माननीय अध्यक्षः---

मैं माननीय सदस्यों से यह जानना चाहूंगा हूं जो समय रखा गया है ८॥ बजे का, क्या इसमें कुछ परिवर्तन किया जाय? इस सम्बन्ध में कुछ सदस्य मेरे पास आए और उन्होंने इस बात की इच्छा प्रकट की है कि ११ से ५ बजे तक का समय रख दिया जाय और इस बीच में एक घंटे का टाइम छोड़ दिया जाय।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः–

जो समय चल रहा है, शायद वही ठीक होगा।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः–

हमारे विचार में भी जो समय चल रहा है वह ठीक है, क्योंकि गर्मी का मौसम है।

माननीय अध्यक्षः-

अब सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक ४ अप्रेल सन् १९५२ ई० प्रातः काल ८–३० बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(इसके पश्चात् सदन १-८ बजे, दिनांक ४ अप्रेल सन् १९५२ के प्रातःकाल ८–३० बजे तक के लिए स्थगित होगया)

मन्साराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर.

टाउन हाल
जयपुर,
२ अप्रेल, सन् १९५२ ई०